Gram : UNIVERSITY
FAX: 0512-2570006

Web: www.kanpuruniversity.org

Off.
V.C. : 2581280
REGI.: 2580044

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

KALYANPUR, KANPUR-208024
कल्याणपुर, कानपुर–208024

सन्दर्भ संः सी.एस.जे.एम.वि.वि./सा.प्रशा./5278/2021

दिनांक : 01/10/2021

सेवा में,

1. समस्त डीन/निदेशक/विभागाध्यक्ष/प्रभारी, परिसर, सी.एस.जे.एम.विश्वविद्यालय, कानपुर।
2. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, सम्बद्ध महाविद्यालय, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।

विषय :– राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस 02 अक्टूबर, 2021 को "गांधी जयन्ती समारोह" मनाए जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के संलग्न पत्र संख्या–2366/सत्तर–3–2021 दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस 02 अक्टूबर, 2021 को "गांधी जयन्ती समारोह" मनाए जाने के संबंध में है।

उक्त पत्र में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को 02 अक्टूबर, 2021 को 152वें गांधी जयन्ती समारोह को, वैश्विक कोविड–19 से बचाव के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों जैसे मास्क, सेनेटाइजेशन व सोशल डिस्टेंसिंग आदि का कड़ाई से अनुपालन करते हुए, सम्मानपूर्वक आयोजित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः शासन के उक्त पत्र में उल्लिखित कार्यक्रम एवं दिशा–निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने/कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

डॉ0 (अनिल कुमार यादव)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त डीन, सी.एस.जे.एम.वि.वि, कानपुर।
2. कुलानुशासक, सी.एस.जे.एम.वि.वि, कानपुर।
3. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, सी.एस.जे.एम.वि.वि, कानपुर।
4. सिस्टम मैनेजर, संगणक केन्द्र को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के कालेज लागिंन के होम पेज पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ ।
6. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव जी।
7. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

Circular संख्या–2366/सत्तर–3–2021

AR (Admin)

LP
01.10.21

प्रेषक,

मोनिका एस0 गर्ग
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. **कुलसचिव,**
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

3. **कुलसचिव,**
समस्त निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊ: दिनाँक 01 अक्टूबर, 2021**

विषय:–राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस 02 अक्टूबर, 2021 को "गांधी जयन्ती समारोह" मनाए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सूचना अनुभाग–2 के पत्र संख्या–08/2021/795/उन्नीस–2– 2021–1084/85, दिनांक 30 सितम्बर, 2021 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन को नई दिशा और नई गति देने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का अप्रतिम योगदान है। सत्याग्रह तथा सविनय अवज्ञा आन्दोलन के माध्यम से उन्होंने सभी वर्गों में आजादी की लौ को प्रज्ज्वलित किया। देश की राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक समरसता के माध्यम से महात्मा गांधी ने राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोकर सशक्त राष्ट्र बनाने में अप्रतिम भूमिका का निर्वहन किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस 02 अक्टूबर हमारे देश के उन सहस्रों ज्ञात व अज्ञात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं क्रान्तिकारियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का बेहतर अवसर है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की बलिवेदी पर अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। यह दिन हम सबको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आदर्शों, सिद्धान्तों व उनके सद्विचारों को अपनाने के साथ ही उनके पदचिन्हों पर चलने का सुअवसर प्रदान करना है।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व की भांति इस वर्ष भी 02 अक्टूबर, 2021 को 152वें गांधी जयन्ती समारोह को, वैश्विक महामारी कोविड–19 से बचाव के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों जैसे मास्क, सेनेटाइजेशन व सोशल डिस्टेन्सिंग आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, सम्मानपूर्वक आयोजित किया जायेगा। इस अवसर पर राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में निम्नलिखित कार्यक्रम मनाये जायेंगे :–

(क) सभी राजकीय भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाये।

(ख) सभी कार्यालयों, विद्यालयों और दूसरी संस्थाओं के किसी बड़े कक्ष या हाल में किसी वरिष्ठ अधिकारी, प्रधानाचार्य या अध्यक्ष द्वारा प्रातः 09:00 बजे महात्मा गांधी जी के एक बड़े चित्र का अनावरण व माल्यार्पण किया जाये और उसके बाद गांधी जी के जीवन संघर्ष, उनकी देश–सेवा, उनके जीवन–मूल्यों पर प्रकाश डाला जाये। विशेष रूप से निर्बलों एवं कमजोरों के कल्याण सम्बन्धी 'अन्त्योदय' की उनकी अवधारणा, भावनात्मक एकता, राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के सम्बन्ध में उनके विचारों का संक्षेप में परिचय दिया जाये।

(ग) विश्वविद्यालयों और कालेजों में गांधीवादी जीवन–दृष्टि का प्रचार तथा गांधी जी के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विद्यार्थियों की वाद–विवाद प्रतियोगिता एवं गोष्ठी आयोजित की जाये, जिसमें जातिगत

भेद–भाव से ऊपर उठकर समाज में समता और समरसता लाने पर बल दिया जाये। मानवाधिकारों की सुरक्षा तथा निर्बलों के उत्पीड़न को समाप्त करने और सामाजिक न्याय की अवधारणा एवं उसकी आवश्यकता की पूर्ति हेतु शासन की प्रतिबद्धता से जन–साधारण को अवगत कराया जाये।

(घ) महिलाओं की उन्नति के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा बताये गये मार्ग का अनुकरण करने, बालिका शिक्षा के प्रसार, दहेज–प्रथा की समाप्ति तथा महिलाओं को आर्थिक–सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर देने और सामाजिक चेतना पैदा करने के लिए महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य से जन–सामान्य, विशेषकर महिलाओं को –जागरूक कराने हेतु प्रभावी अभियान चलाया जाये। राज्य सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाने के लिए "जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम–1950" के प्राविधानों में संशोधन करके अविवाहित पुत्रियों को भी कृषि भूमि पर उत्तराधिकार हक प्रदान किया गया है। अविवाहित पुत्री के विवाह कर लेने की स्थिति में भूमि पर मिला अधिकार उसके पति को न जाकर भूमिधर के परिवार के निकटतम उत्तराधिकारी को पूर्ववत् व्यवस्थाओं के अधीन प्राप्त हो जायेगा।

(ड.) राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की ग्राम स्वराज्य की अवधारणा के अनुसार गांवों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने तथा मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के साथ ही ग्रामवासियों में सच्चरित्रता, सादगी तथा स्वावलम्बन की भावना उत्पन्न की जाये। इस दिशा में शासन की पारदर्शी नीति और इस सम्बन्ध में किये गये अभिनव एवं सार्थक प्रयासों से भी जन साधारण को अवगत कराया जाये।

(च) गांधी जयन्ती–2021 के समारोह को 'आजादी के अमृत महोत्सव' के कार्यक्रमों के साथ जोड़ा जाय । इस अवसर पर स्वरतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा राष्ट्र की सेवा में लगे हुए व्यक्तियों को भी सम्मानित किया जा सकता है। इस अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा एक दिन प्रत्येक ग्राम पंचायत की बैठक कर 'हर घर जल' कार्यक्रम, जल संरक्षण आदि विषय पर भी बैठक आयोजित की जाय।

4– राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाये गये स्वाधीनता आन्दोलन, उत्तर प्रदेश में उसके व्यापक प्रभाव, उनके महान व्यक्तित्व द्वारा किये गये रचनात्मक कार्यक्रमों, स्वदेशी आन्दोलन, नमक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, आदि पर प्रकाश डाला जाये।

5– 'सादा जीवन उच्च विचार', मितव्ययिता, नैतिकता, भाईचारा तथा सर्वधर्म समभाव जैसे आदर्श जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी जाये। उन्हें यह भी बताया जाये कि देश को कमजोर करने वाली शक्तियों से सावधान रहते हुए राष्ट्रीय अस्मिता की। रक्षा करना उनका पुनीत कर्तव्य है, जिसका संकल्प आज के दिन दोहराया जाना चाहिए।

6– 'पंचायती राज को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी लोकतंत्र की बुनियादी इकाई मानते थे। इन संस्थाओं की स्वायत्तता और स्वावलम्बन का सपना साकार करने के लिए प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। उन निर्णयों से जन–साधारण को अवगत कराते हुए बताया जाये कि पंचायतें ग्रामीण विकास तथा 'ग्राम–स्वराज' के नये मार्ग प्रशस्त करेंगी। अब गांवों के विकास कार्यक्रमों में गांवों के नागरिकों, मुख्यतः महिलाओं एवं निर्बल वर्ग के सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।

7– पंचायतों, सार्वजनिक संस्थाओं तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के विचारों में आस्था रखने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता से रचनात्मक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के साथ ही समरसता, सद्भाव और सहयोग पर आधारित आदर्श समाज की आवश्यकता को रेखांकित किया जाये। धर्म, जाति, रंग आदि सभी भेदभावों को मिटाकर विभिन्न सम्प्रदायों के लोगों में पारस्परिक सद्भाव, एकता तथा सहयोग बढ़ाने वाली चेतना विकसित करने के लिए जन–सहभागिता के आधार पर उचित वातावरण तैयार करने का हर सम्भव प्रयास किया जाये।

8– विकास सम्बन्धी शासन की प्राथमिकताओं से जन–मानस को अवगत कराते हुए उन्हें अपेक्षित योगदान के लिए प्रेरित किया जाये। अपराधमुक्त, अन्यायमुक्त एवं भयमुक्त, वातावरण सृजित करने के साथ ही कानून व्यवस्था पर जीरो टालरेंस की नीति पर चलते हुए कानून का राज स्थापित करने तथा संवेदनशील एवं स्वच्छ प्रशासन देने के प्रयासों से आम जनता को अवगत कराया जाये।

9– विकास सम्बंधी शासन की प्राथमिकताओं से जनमानस को अवगत कराते हुए उन्हें अपेक्षित योगदान के लिए प्रेरित किया जाए। साथ ही बेहतर वातावरण के साथ स्वच्छ प्रशासन देने के प्रयासों से आम जनता को अवगत कराया जाए।

10– प्रदेश की वर्तमान सरकार का लक्ष्य है– 'जन आकाक्षाओं की पूर्ति तथा राज्य का समग्र विकास'। राज्य सरकार 'सबका साथ–सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास' के आधार पर सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण एवं सर्वांगीण विकास हेतु कृत–संकल्पित है। बापू की जयन्ती पर उनकी विचारधारा से प्रेरणा लेकर एक सशक्त, समर्थ एवं आत्मनिर्भर भारत के परिकल्पना को उ0प्र0 सरकार पूरा करने के लिए दृढ संकल्पित है।

11– स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसमें यथोचित परिवर्तन/परिवर्धन करने के लिए आप सक्षम है और ऐसे अन्य कार्यक्रम भी सम्मिलित कर सकते है जो इस अवसर के लिए उपयुक्त हों।

वर्तमान सरकार के साढे चार वर्ष के कार्यकाल के दौरान ऐतिहासिक निर्णयों एवं विकासपरक तथा जनकल्याणकारी कार्यक्रमों द्वारा उठाये गये कदमों से स्पष्ट है कि सरकार प्रदेश के आमजन के विकास, उनकी सुरक्षा और कानून व्यवस्था के प्रश्न पर अत्यंत संवेदनशील है। इसके साथ ही कोरोना महामारी का डटकर मुकाबला किया जा रहा है और विकास की गति को भी धीमा नहीं होने दिया गया है। राज्य सरकार इस अप्रत्याशित संकट को अवसर में बदलते हुए जन सरोकार के कार्यों को पूरी दृढता के साथ लागू कर रही है और कोरोना महामारी से निपटने के लिए छेड़ी गई जंग में अन्य राज्यों से आगे है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के हितों तथा राज्य के समग्र विकास के लिए संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों, जिनका 'संलग्न परिशिष्ट' में उल्लेख किया गया है, के संबंध में जनसाधारण को अवगत कराया जाय।

यह देश सभी धर्मों और सम्प्रदायों में पारस्परिक सद्भावना व एकता से ही प्रगति कर सकता है। प्रदेश में शांति एवं सद्भाव का वातावरण सृजित करने के लिए इस अवसर पर कोविड–19 से बचाव हेतु भारत सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए जनमानस की सहभागिता सुनिश्चित की जाये और लोगों को जागरूक भी किया जाए।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीया,

(मोनिका एस0 गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 2366(1)/सत्तर–3–2021, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2– निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
3– समस्त कुलपति, राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
4– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

संख्या 2496 /VIP-PSHED/2020

अपर मुख्य सचिव कार्यालय
में प्राप्त दिनांक 01/10/21

महत्वपूर्ण

प्रमुख सचिव

01/10/21

(मोनिका ...)
अपर मुख्य ...
उच्च शिक्षा ...
उत्तर प्रदेश ...

<u>शासनादेश</u>

<u>संख्या–08/2021/795/उन्नीस–2–2021–1084/85</u>

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस

02 अक्टूबर, 2021 को

"गांधी जयन्ती समारोह"

मनाये जाने के सम्बन्ध में

महत्वपूर्ण

संख्या–08 / 2021 / 795 / उन्नीस–2–2021–1084 / 85

प्रेषक

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सूचना अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक 30 सितम्बर, 2021**

विषयः–राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस, 02 अक्टूबर, 2021 को 'गांधी जयन्ती समारोह'' मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन को नई दिशा और नई गति देने में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी का अप्रतिम योगदान है। सत्याग्रह तथा सविनय अवज्ञा आन्दोलन के माध्यम से उन्होंने सभी वर्गों में आजादी की लौ को प्रज्ज्वलित किया। देश की राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक समरसता के माध्यम से महात्मा गांधी ने राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोकर सशक्त राष्ट्र बनाने में अप्रतिम भूमिका का निर्वहन किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस 02 अक्टूबर हमारे देश के उन सहस्रों ज्ञात व अज्ञात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं क्रान्तिकारियो के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का बेहतर अवसर है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की बलिबेदी पर अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। यह दिन हम सबको राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी के आदर्शों, सिद्धान्तों व उनके सद्विचारों को अपनाने के साथ ही उनके पदिचन्हों पर चलने का सुअवसर प्रदान करता है।

2– उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व की भाति इस वर्ष भी 02 अक्टूबर, 2021 को 152वें गांधी जयन्ती समारोह को, वैश्विक महामारी कोविड–19 से बचाव के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों जैसे–मास्क, सेनेटाइजेशन व सोशल डिस्टेन्सिंग आदि का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, सम्मानपूर्वक आयोजित किया जायेगा। इस अवसर पर प्रस्तावित कार्यक्रमों की एक रूपरेखा नीचे दी जा रही है। स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसमें यथोचित परिवर्तन / परिवर्द्धन करने के लिए आप सक्षम हैं और ऐसे अन्य कार्यक्रम भी सम्मिलित कर सकते हैं जो इस अवसर के लिए उपयुक्त हो। प्रस्तावित कार्यक्रम निम्नानुसार हैं –

(क) सभी राजकीय भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाये।

(ख) सभी कार्यालयों, विद्यालयों और दूसरी संस्थाओं के किसी बड़े कक्ष या हाल में किसी वरिष्ठ अधिकारी, प्रधानाचार्य या अध्यक्ष द्वारा प्रातः 09:00 बजे महात्मा गांधी जी के एक बड़े चित्र का अनावरण व माल्यार्पण किया जाये और उसके बाद गांधी जी के जीवन–संघर्ष, उनकी देश–सेवा, उनके जीवन–मूल्यों पर प्रकाश डाला जाये। विशेष रूप से निर्बलों एव कमजोरों के कल्याण सम्बन्धी **''अन्त्योदय''** की उनकी अवधारणा, भावनात्मक एकता, राष्ट्रीय एकता एव अखण्डता के सम्बन्ध में उनके विचारो का सक्षेप में परिचय दिया जाये।

(ग) स्कूलों और कालेजों में गांधीवादी जीवन–दृष्टि का प्रचार तथा गांधी जी के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विद्यार्थियो की वाद–विवाद प्रतियोगिता एव गोष्ठी आयोजित की जाये, जिसमें जातिगत भेद–भाव से ऊपर उठकर समाज में समता और समरसता लाने पर बल दिया जाये। मानवाधिकारो की सुरक्षा तथा निर्बलों के उत्पीडन को समाप्त करने और सामाजिक न्याय की अवधारणा एवं उसकी आवश्यकता की पूर्ति हेतु शासन की प्रतिबद्धता से जन–साधारण को अवगत कराया जाये।

(घ) महिलाओं की उन्नति के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा बताये गये मार्ग का अनुकरण करने, बालिका–शिक्षा के प्रसार, दहेज–प्रथा की समाप्ति तथा महिलाओं को आर्थिक–सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर देने और

सामाजिक चेतना पैदा करने के लिए महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य से जन–सामान्य, विशेषकर महिलाओं को जागरूक कराने हेतु प्रभावी अभियान चलाया जाये। राज्य सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाने के लिए **''जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम–1950''** के प्राविधानों में संशोधन करके अविवाहित पुत्रियों को भी कृषि भूमि पर उत्तराधिकार हक प्रदान किया गया है। अविवाहित पुत्री के विवाह कर लेने की स्थिति में भूमि पर मिला अधिकार उसके पति को न जाकर भूमिधर के परिवार के निकटतम उत्तराधिकारी को पूर्ववत् व्यवस्थाओं के अधीन प्राप्त हो जायेगा।

(ड) राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की ग्राम स्वराज्य की अवधारणा के अनुसार गांवों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने तथा मूलभूत सुविधाये उपलब्ध कराने के साथ ही ग्रामवासियों में सच्चरित्रता, सादगी तथा स्वावलम्बन की भावना उत्पन्न की जाये। इस दिशा में शासन की पारदर्शी नीति और इस सम्बन्ध में किये गये अभिनव एवं सार्थक प्रयासों से भी जन साधारण को अवगत कराया जाये।

(च) गांधी जयन्ती–2021 के समारोह को **'आजादी के अमृत महोत्सव'** के कार्यक्रमों के साथ जोड़ा जाय । इस अवसर पर स्वरतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा राष्ट्र की सेवा में लगे हुए व्यक्तियों को भी सम्मानित किया जा सकता है। इस अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा एक दिन प्रत्येक ग्राम पंचायत की बैठक कर **'हर घर जल'** कार्यक्रम, जल सरक्षण आदि विषय पर भी बैठक आयोजित की जाय।

3– राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाये गये स्वाधीनता आन्दोलन, उत्तर प्रदेश में उसके व्यापक प्रभाव, उनके महान व्यक्तित्व द्वारा किये गये रचनात्मक कार्यक्रमों, स्वदेशी आन्दोलन, नमक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, आदि पर प्रकाश डाला जाये।

4– **'सादा जीवन उच्च विचार'**, मितव्ययिता, नैतिकता, भाईचारा तथा सर्वधर्म समभाव जैसे आदर्श जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी जाये। उन्हें यह भी बताया जाये कि देश को कमजोर करने वाली शक्तियों से सावधान रहते हुए राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा करना उनका पुनीत कर्तव्य है, जिसका संकल्प आज के दिन दोहराया जाना चाहिए।

5– **'पंचायती राज'** को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी लोकतंत्र की बुनियादी इकाई मानते थे। इन संस्थाओं की स्वायत्तता और स्वावलम्बन का सपना साकार करने के लिए प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। उन निर्णयों से जन–साधारण को अवगत कराते हुए बताया जाये कि पंचायतें ग्रामीण विकास तथा 'ग्राम–स्वराज' के नये मार्ग प्रशस्त करेंगी। अब गांवों के विकास कार्यक्रमों में गांवों के नागरिकों, मुख्यतः महिलाओं एवं निर्बल वर्ग के सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।

6– पंचायतों, सार्वजनिक संस्थाओं तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के विचारों में आस्था रखने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता से रचनात्मक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के साथ ही समरसता, सदभाव और सहयोग पर आधारित आदर्श समाज की आवश्यकता को रेखांकित किया जाये। धर्म, जाति, रंग आदि सभी भेदभावों को मिटाकर विभिन्न सम्प्रदायों के लोगों में पारस्परिक सदभाव, एकता तथा सहयोग बढाने वाली चेतना विकसित करने के लिए जन–सहभागिता के आधार पर उचित वातावरण तैयार करने का हर सम्भव प्रयास किया जाये।

7– विकास सम्बन्धी शासन की प्राथमिकताओं से जन–मानस को अवगत कराते हुए उन्हें अपेक्षित योगदान के लिए प्रेरित किया जाये। अपराधमुक्त, अन्यायमुक्त एवं भयमुक्त, वातावरण सृजित करने के साथ ही कानून व्यवस्था पर जीरो टालरेंस की नीति पर चलते हुए कानून का राज स्थापित करने तथा संवेदनशील एवं स्वच्छ प्रशासन देने के प्रयासों से आम जनता को अवगत कराया जाये।

8– विकास सम्बंधी शासन की प्राथमिकताओं से जनमानस को अवगत कराते हुए उन्हें अपेक्षित योगदान के लिए प्रेरित किया जाए। साथ ही बेहतर वातावरण के साथ स्वच्छ प्रशासन देने के प्रयासों से आम जनता को अवगत कराया जाए।

9– प्रदेश की वर्तमान सरकार का लक्ष्य है– **'जन आकाक्षांओं की पूर्ति तथा राज्य का समग्र विकास'**। राज्य सरकार **''सबका साथ–सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास''** के आधार पर सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण एव सर्वांगीण विकास हेतु कृत–संकल्पित है। बापू की जयन्ती पर उनकी विचारधारा से प्रेरणा लेकर एक सशक्त, समर्थ एवं आत्मनिर्भर भारत के परिकल्पना को उ0प्र0 सरकार पूरा करने के लिए दृढ़ सकल्पित है।

वर्तमान सरकार के साढ़े चार वर्ष के कार्यकाल के दौरान ऐतिहासिक निर्णयों एवं विकासपरक तथा जनकल्याणकारी कार्यक्रमों द्वारा उठाये गये कदमों से स्पष्ट है कि सरकार प्रदेश के आमजन के विकास, उनकी सुरक्षा और कानून व्यवस्था के प्रश्न पर अत्यंत संवेदनशील है। इसके साथ ही कोरोना महामारी का डटकर मुकाबला किया जा रहा है और विकास की गति को भी धीमा नही होने दिया गया है। राज्य सरकार इस अप्रत्याशित संकट को अवसर में बदलते हुए जन सरोकार के कार्यों को पूरी दृढता के साथ लागू कर रही है

और कोरोना महामारी से निपटने के लिए छेड़ी गई जंग में अन्य राज्यों से आगे है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के हितों तथा राज्य के समग्र विकास के लिए संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों, जिनका "संलग्न परिशिष्ट" में उल्लेख किया गया है, के संबंध में जनसाधारण को अवगत कराया जाय।

यह देश सभी धर्मों और सम्प्रदायों में पारस्परिक सद्भावना व एकता से ही प्रगति कर सकता है। प्रदेश में शांति एवं सद्भाव का वातावरण सृजित करने के लिए इस अवसर पर कोविड–19 से बचाव हेतु भारत सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए जनमानस की सहभागिता सुनिश्चित की जाये और लोगों को जागरूक भी किया जाए।

संलग्नक :– परिशिष्ट

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या–08 / 2021 / 795(1) / उन्नीस–2–2021–1084 / 85 तद्दिनांकित ।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्रीगण / समस्त मा0 मंत्रीगण / / मा0 राज्य मंत्रीगण (स्वतंत्र प्रभार) / मा0 राज्य मंत्रीगण को मा0 मंत्री जी को अवगत कराये जाने हेतु।

2– समस्त महापौर, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद एवं अध्यक्ष, नगर पंचायत।

3– समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश।

4– समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

5– पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

6– समस्त मण्डलायुक्त / विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयों के प्रमुख अधिकारीगण।

7– समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण उ0प्र0।

8– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

9– समस्त नगर आयुक्त तथा नगर पालिका परिषदों एवं नगर पचायत के अधिशासी अधिकारीगण।

10– राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

11– सचिवालय प्रशासन (विविध) अनुभाग–1 / सामान्य प्रशासन विभाग।

12– गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(नवनीत सहगल)
अपर मुख्य सचिव।

परिशिष्ट

प्रदेश सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के हित तथा राज्य के समग्र विकास के लिये संचालित महत्वपूर्ण योजनायें एवं कार्यक्रम :–

1. **जनसमस्या निवारण** :–

जनसमस्याओं के तेजी से निस्तारण हेतु प्रभावी व्यवस्था की गयी है। मा0 मुख्यमंत्री जी के सरकारी आवास पर आयोजित "जनता दर्शन" में प्रदेश के कोने–कोने से आये पीड़ितों/शिकायतकर्ताओं की समस्याओं की सुनवाई करके उसका प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा इन्टीग्रेटेड ग्रिवान्स रिड्रेसल सिस्टम (आई.जी.आर.एस.) के तहत दिनांक 13 सितम्बर, 2021 तक प्राप्त कुल 3,02,15,581 संदर्भों में से 2,97,17,805 मामलों का समयबद्ध निस्तारण। तहसीलों में कोविड–19 प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' का आयोजन। अब समाधान दिवस प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शनिवार तथा 'थाना दिवस' दूसरे एवं चौथे शनिवार को आयोजित करते हुए प्राप्त शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शुभारम्भ किये गये मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर जन शिकायतों का हो रहा है त्वरित निस्तारण।

2. **आस्था को नमन** :–

(1) महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार द्वारा 29 अगस्त, 2021 को अयोध्या में "रामायण कॉनक्लेव" का उदघाटन किया गया।

(2) मा0 प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में 15 जुलाई, 2021 को 186 करोड़ रूपये की लागत से बने अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केन्द्र (रूद्राक्ष) के लोकार्पण सहित कुल 1474 करोड़ रूपये की परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास किया।

(3) अयोध्या में दीपोत्सव, मथुरा में रंगोत्सव एवं कृष्णोत्सव, वाराणसी में शिवरात्रि एवं देव दीपावली का भव्य आयोजन।

(4) छत्तीसगढ़ के रायपुर में अन्तर्राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव में उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति दल ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

(5) 04 फरवरी, 2021 को मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा शुभारम्भ किये गये "चौरी–चौरा शताब्दी समारोह" एवं "आजादी का अमृत महोत्सव" का आयोजन गोरखपुर एवं काकोरी लखनऊ में किया गया। समस्त जनपदों में कार्यक्रमों का हो रहा है आयोजन।

(6) जनपद वाराणसी में वैदिक सांइस सेन्टर की स्थापना। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का विस्तारीकरण/सौन्दर्यीकरण।

(7) योग क्रिया पर आधारित मूर्त सांस्कृतिक धरोहर वाराणसी के गुरूधाम मंदिर का संरक्षण। गोरखपुर में अत्याधुनिक प्रेक्षागृह का निर्माण, मुक्ताकाशी मंच का अनुरक्षण, गढ़ाकोला उन्नाव में स्मृति भवन पुस्तकालय आदि का निर्माण।

(8) मगहर में आंचलिक भाषा तथा लोक विधाओं के विकास हेतु कबीर अकादमी की स्थापना।

(9) प्रदेश सरकार द्वारा अरूणांचल प्रदेश तथा मेघालय राज्य के साथ पारम्परिक सांस्कृतिक आदान– प्रदान के लिए एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित।

(10) उ0प्र0 की सांस्कृतिक विरासत की विभिन्न लोककलाओं एवं कलाकारों पर हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में 15 डाक्यूमेन्ट्री फिल्मों का निर्माण। 60 वर्ष से अधिक 300 वृद्ध/विपन्न कलाकारों को 2000 रुपये प्रतिमाह मासिक पेंशन।वर्तमान में सभी कलाकारों को भारत सरकार की पेंशन योजना से जोड़ा गया है।

3. **कानून व्यवस्था** :–

(1) प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को और अधिक बेहतर बनाने, अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए वर्तमान सरकार द्वारा कई ऐतिहासिक एवं उल्लेखनीय फैसले लिए गये। पुलिस को और आधुनिक बनाने, कार्यप्रणाली में सुधार लाने के चलते ही इसकी छवि 'मित्र पुलिस' के रूप में स्थापित।

(2) प्रदेश में बढ़ रहे साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु साइबर क्राइम थाना लखनऊ व गौतमबुद्धनगर के अलावा 16 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर एक–एक साइबर क्राइम थानों की स्थापना। प्रदेश में नये बनने वाले यू0पी0 स्टेट इस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज लखनऊ का शिलान्यास। इसके तहत सेन्टर ऑफ एक्सिलेंस की होगी स्थापना।

(3) जनपद लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, कानपुर नगर एवं वाराणसी में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू। इससे कानून एवं शांति व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार।

(4) प्रदेश की कारागारों में मोबाइल तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के प्रयोग पर 3 से 5 वर्ष की सजा तथा 50 हजार रुपये अथवा दोनों से दण्डित करने का प्रावधान।

(5) प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने, अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के 214 थानों एवं 111 पुलिस चौकियों की स्थापना की स्वीकृत।

(6) 112 यू0पी0 परियोजना को और अधिक जनपयोगी बनाने के साथ–साथ इसके संसाधनों में बढ़ोत्तरी कर कई नयी परियोजना जोड़ी गई है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सुरक्षित माहौल देने के लिए लिंक सेवा शुरू करने का निर्णय, वीमेन पावर लाइन 1090, जी0आर0पी0, फायर सर्विस, महिला हेल्प लाइन 181 सेवा का इससे एकीकरण।

(7) "मिशन शक्ति" के अंतर्गत चलाये गये विशेष अभियान के दौरान विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल 5,26,538 व्यक्तियों

के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही। प्रदेश के 1535 थानों पर महिला हेल्प डेस्क की स्थापना। महिला संबंधी अपराधों में त्वरित कार्यवाही के लिए 218 "फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित।

(8) महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं पर पूर्णतया अंकुश लगाने के लिए प्रदेश प्रत्येक जिले में "एण्टी रोमियो स्क्वाड अभियान" के अंतर्गत 42,23,226 स्थानों पर चेकिंग कर 1,09,78,512 व्यक्तियों को चेक करते हुए 10876 अभियोग पंजीकृत कर 16045 के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही, 4589288 व्यक्तियों को चेतावनी।

(9) महिलाओं से संबंधित कार्यरत इकाईयों वीमेन पावर लाइन 1090, महिला सम्मान प्रकोष्ठ सी0बी0सी0आई0डी0 की महिला सहायता प्रकोष्ठ को समेकित करते हुए "महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन" की स्थापना। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 'सेफ सिटी परियोजना' का क्रियान्वयन, 45 पिंक बूथ, 18 पिंक शौचालय, 660 स्ट्रीट लाइट की स्थापना।

(10) हड़ताल, बन्दी, दंगों, लोक अशांति के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर हिंसात्मक कार्य करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही तथा लोक एवं निजी सम्पत्ति की क्षति की वसूली के लिए लखनऊ एवं मेरठ मण्डल में दावा अधिकरण का गठन।

(11) लोक एवं निजी सम्पत्ति के क्षति की वसूली की कार्यवाही भू–राजस्व के बकाये के रूप में की जा रही है। सी0ए0ए0 के विरोध में प्रदर्शन में आक्रामक हिंसा के दौरान हुई सरकारी सम्पत्तियों को क्षति पहुंचाने वाले दोषी व्यक्तियों से 26,33,171 रुपये की वसूली।

(12) राज्य के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों आदि की सुरक्षा व्यवस्था प्रोफेशनल तरीके से सुनिश्चित किये जाने हेतु पृथक से उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स नामक नये सुरक्षा बल के गठन का निर्णय।

(13) ई–प्रॉसीक्यूशन प्रणाली के उपयोग में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर।

(14) अपराधों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक कुल 144 दुर्दान्त अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे गये एवं 3291 घायल हुए। गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत 13801 अभियोग पंजीकृत कर 43294 अभियुक्तों को जेल एवं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत 630 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

(15) प्रदेश के 25 कुख्यात माफिया अपराधियों को चिन्हित कर उनके तथा उनके सहयोगियों द्वारा आपराधिक कृत्य से अर्जित की गई सम्पत्तियों में लगभग 702 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अवैध सम्पत्तियों के ध्वस्तीकरण / जब्तीकरण की कार्यवाही की गई। इसके अतिरिक्त 8 अन्य कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध 40 करोड़ से अधिक मूल्य की अवैध सम्पत्तियों की जब्तीकरण की गई। यह प्रक्रिया निरन्तर जारी है।

(16) दुबई सरकार द्वारा वर्ष 2019 में आयोजित इण्टर नेशनल कॉल सेन्टर एवार्ड समारोह में यू0पी0 '112' को तृतीय स्थान प्राप्त।

(17) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम–2021 लागू।

4. किसानों के हितार्थ ऐतिहासिक फैसले :–

(1) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत कुल 253.98 लाख किसानों को अब तक कुल 37387.40 करोड़ रु0 की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित की गयी।

(2) प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में अगस्त, 2021 तक 252239 लाभार्थियों को कार्ड उपलब्ध कराये गये, जिसमें 74 प्रतिशत पुरूष एवं 26 प्रतिशत महिला लाभार्थी हैं।

(3) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 27.56 लाख कृषकों को अगस्त, 2021 तक 2376.17 करोड़ रुपये का भुगतान।

(4) किसानों को स्प्रिंकलर सिंचाई योजनान्तर्गत वर्तमान सरकार द्वारा कुल 249272 स्प्रिंकलर सेट का वितरण।

(5) बुंदेलखण्ड क्षेत्र में सिंचन क्षमता बढ़ाने के लिए खेत–तालाब योजना के तहत अब तक 20149 खेत–तालाबों का निर्माण। बुंदेलखंण्ड क्षेत्र के किसानों को विभिन्न फसलों के बीजों पर 80 प्रतिशत अनुदान, रबी 2020– 21 में समस्त योजनाओं के अंतर्गत समस्त प्रकार के बीजों के मूल्य का 50 प्रतिशत अनुदान कृषकों को उपलब्ध कराया गया।

(6) प्रदेश में जहां सिंचाई के साधन कम हैं अथवा विद्युत आपूर्ति नहीं है, उन क्षेत्रों में सोलर फोटोवोल्टा इक इरिगेशन पम्प के तहत कुल 24578 सोलर पम्पों की स्थापना।

(7) प्रदेश में बेरोजगार कृषि स्नातकों को रोजगार सृजन हेतु 2334 एग्रीजंक्शन की स्थापना।

(8) किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराने के लिए अब तक कुल 249.62 लाख कुन्तल बीजों का वितरण तथा 367 लाख मी0टन उर्वरकों का वितरण। अब तक कुल 75968.47 मी0टन / किली0 कृषि रक्षा रसायनों का वितरण।

(9) फसली ऋण के तहत कुल 424947 करोड़ रुपये का वितरण।

(10) रबी 2020–21 में कुल 619.47 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन, 12.75 लाख मीट्रिक टन तिलहन, तथा जायद में 3.07 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन।

(11) कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अब तक 86.87 लाख किसानों के बैंक खाते में 2032.97 करोड़ रूपये का अनुदान डी0बी0टी0 के माध्यम से हस्तांतरित। कृषि निवेशों पर देय अनुदान को डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान करने वाला उ0प्र0 देश में पहला राज्य बना।

(12) राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वाधिक तिलहन उत्पादन हेतु उत्तर प्रदेश को 2 करोड़ रुपये का 'कृषि कर्मण पुरस्कार' तथा देश में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन हेतु रुपये 1 करोड़ का प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त। वर्ष 2020–21 में प्रधानमंत्री

किसान सम्मान निधि योजना मे उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत।

(13) सहकारिता विभाग द्वारा अल्पकालीन ऋण वितरण योजना के तहत साढ़े चार वर्ष में 64.37 लाख से अधिक किसानों को अब तक रु0 27328.61 करोड़ का ऋण वितरित। दीर्घकालीन ऋण वितरण योजना के तहत 23 अगस्त, 2021 तक 225538 कृषकों को रु0 327.63 करोड़ ऋण वितरित। किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से वर्ष 2021–22 में अब तक 1148018 मीट्रिक टन उर्वरक तथा 71313 कुन्तल बीज का वितरण।

(14) केन्द्र सरकार द्वारा पारित अधिनियम के क्रम में मण्डी परिसरों के बाहर के व्यापार को पूरी तरह लाइसेंस व मण्डी शुल्क से मुक्त। इससे किसान अपना सामान कहीं भी और किसी भी व्यापारी को तत्काल बेंच सकते है। कृषको के हितार्थ फल एवं सब्जियों के 45 कृषि जिन्सों को गैर अधिसूचित कर मण्डी शुल्क समाप्त किया गया। 125 मण्डी समितियों को ई–नाम पोर्टल से जोडा गया। ई–मण्डी योजना के अन्तर्गत 99019 ई–लाइसेंस निर्गत।

(15) मुख्यमंत्री कृषक कल्याणकारी योजना के अन्तर्गत 62798 कृषकों को 104.8 करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान सहायता राशि प्रदान। कोरोना काल के दौरान मण्डियों के 20 हजार से अधिक पल्लेदारों/श्रमिकों को 1000 रुपये की दर से उनके खातों में धनराशि हस्तांतरित कर लाभान्वित किया गया।

5. गन्ना किसानों को सुविधाएं :–

(1) प्रदेश के गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य में रु0 25 प्रति कुन्तल वृद्धि कर सरकार ने किसानों को दिया तोहफा। शीघ्र प्रजाति के लिए रु0 350 प्रति कुन्तल, सामान्य प्रजाति के लिए रु0 340 प्रति कुन्तल एवं अस्वीकृत प्रजाति के लिए रु0 335 प्रति कुन्तल की दरें निर्धारित।

(2) गन्ना एवं चीनी उत्पादन मे उत्तर प्रदेश लगातार 04 वर्षो से देश में प्रथम स्थान पर।

(3) वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 45.22 लाख गन्ना किसानों को 1,44,000 करोड रुपये से अधिक का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान।

(4) गन्ना मूल्य में वृद्धि से किसानों की आय में औसतन 349.80 रुपये प्रति कुन्तल की दर से 60854 रुपये प्रति हेक्टेयर की वृद्धि।

(5) चीनी परता में 0.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गन्ना उत्पादकता में 9.12 टन प्रति हे0 की वृद्धि। प्रदेश में पिछले 04 वर्षो में 475.68 लाख टन चीनी का रिकार्ड उत्पादन हुआ।

(6) वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में 119 चीनी मिलों का संचालन कराते हुए 4289 लाख टन गन्ने की पेराई की गई, जो एक रिकार्ड है।

(7) बन्द पडी चीनी मिल पिपराइच (गोरखपुर) एवं मुण्डेरवा (बस्ती) व रमाला (बागपत) में 5000 टी0सी0डी0 क्षमता की 02 नई चीनी मिल का निर्माण व विस्तार, 27 मेगावॉट क्षमता के विद्युत संयंत्र की स्थापना।

(8) ऑनलाइन खाण्डसारी लाइसेंसिंग नीति जारी। प्रदेश में विगत 25 वर्षो में प्रथम बार 272 नई खाण्डसारी इकाइयों हेतु लाइसेंस निर्गत। इससे ग्रामीण क्षेत्रों मे लगभग 1132.50 करोड़ रुपये का पूंजीगत निवेश तथा 30660 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा।

(9) ग्रामीण महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए प्रदेश के 36 जिलों में 2111 महिला स्वयं सहायता समूहो का गठन, जिनमे 45491 ग्रामी। महिला सदस्य है। 1292.61 लाख रुपये समूहों को अनुदान वितरित।

(10) ई0आर0पी0 के माध्यम से पर्ची निर्गमन कार्य में पूर्ण पारदर्शिता। ऑनलाइन पोर्टल बदमनच.पद एव म–हंदद ऐप द्वारा सर्वे, सट्टा, कैलेण्डर, पर्ची, भुगतान संबंधी सूचना गन्ना किसानों को दी जा रही है।

6. आबकारी विभाग :–

(1) आबकारी विभाग प्रदेश के कर राजस्व मे योगदान करने वाला महत्वपूर्ण विभाग है। कोविड–19 के कारण हुए लॉकडाउन के बावजूद भी आबकारी विभाग ने वर्ष 2020–21 में 7611.33 करोड रुपये का राजस्व अर्जित। वर्ष 2021–22 में जुलाई 2021 तक रुपये 11164.07 करोड रूपये का राजस्व प्राप्त।

(2) शीरा वर्ष 2021–22 मे जुलाई, 2021 तक 554.98 लाख कुन्तल शीरे का उत्पादन हुआ। शीरा उत्पादन में प्रदेश का देश मे प्रथम स्थान है।

(3) प्रदेश में अल्कोहल उत्पादन के लिए 73 आसवनियां स्थापित है। अल्कोहल वर्ष 2019–20 मे 8473.34 लाख बल्क ली0 का उत्पादन हुआ। वर्ष 2020–21 में अब तक 11672.30 लाख बल्क ली0 अल्कोहल का उत्पादन हुआ।

(4) प्रदेश में 12 नई आसवनियों की स्थापना। जिसमें 1121.50 करोड़ रुपये का निवेश। पूर्व स्थापित 20 आसवनियों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि की गई, जिसमे 1200 लोगों को रोजगार मिला। 97 हैण्ड सेनेटाइजर उत्पादन इकाइयों की स्थापना, 1700 लोगों को मिला रोजगार।

7. खाद्य एवं रसद विभाग :–

(1) मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत रबी विपणन वर्ष 2021–22 मे 1975 रुपये प्रति कुन्तल गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित। गेहूँ खरीद के लिए 5678 क्रय केन्द्रों पर कुल 1301705 कृषकों से 56.41 लाख मी0 टन गेहूँ की रिकार्ड खरीद। किसानो से गेहूँ क्रय करते हुए 10939.905 करोड़ रुपये का सीधे उनके खातो में भुगतान।

(2) मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2021–22 हेतु रुपये 1960 प्रति कुन्तल ग्रेड–ए धान तथा रुपये 1940

प्रति कुन्तल कामन धान का मूल्य निर्धारित।

(3) मक्का क्रय हेतु खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 में मक्के का निर्धारित समर्थन मूल्य 1850 रुपये प्रति कुन्तल की दर से 23 जनपदों में 24859 किसानों से 1.06 लाख मी0टन मक्का क्रय करते हुए रुपये 196.86 करोड़ का भुगतान किया गया है।

(4) कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत राशनकार्डधारकों को 88.42 लाख मी0टन खाद्यान्न व 2.69 लाख मी0 टन चना निःशुल्क वितरित।

(5) ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र की सभी 79550 उचित दर दुकानों में ई–पॉस मशीन की स्थापना।

8. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण :–

(1) उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति–2017 के अन्तर्गत कुल 886 आवेदन प्राप्त किये जिनमें पूंजी निवेश रुपये 4696.24 करोड़ तथा कुल लगभग 67714 प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन। अब तक पूंजी अनुदान हेतु 379 प्रस्ताव स्वीकृत, जिनमें रुपये 1278.60 करोड़ का पूंजी निवेश स्वीकृत। स्वीकृत प्रस्तावों के सापेक्ष व्यावसायिक उत्पादन में आ चुकी 236 संस्थाओं को 75.31 करोड़ अनुदान, जिसमें 28.08 करोड़ ब्याज उपादन के रूप में उनके खातों में अन्तरित। इस वर्ष 40 करोड़ रुपये का प्राविधान।

(2) महात्मा गांधी खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर 1265 तीन दिवसीय प्रशिक्षण में 37950 एवं एक माह के 136 उद्यमिता विकास प्रशिक्षण में 4080 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। कुल 230 सूक्ष्म, लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां स्थापित। कुल 920 रोजगार का सृजन।

(3) प्रधानमन्त्री किसान सम्पदा योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदेश में निजी क्षेत्र की 50 परियोजनाएं स्वीकृत, जिसमें रु0 1116.08 करोड़ का निवेश। 01 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।

(4) आत्मनिर्भर भारत अभियान के अतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म, खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत प्रदेश में लगभग 42,000 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश का परिव्यय धनराशि रु0 1700 करोड़ प्राविधानित। प्रदेश में रु0 5000 करोड़ के पूंजी निवेश का अनुमान।

(5) राज्य औद्यानिक मिशन योजनान्तर्गत 125 शीतगृह, 17 राइपनिंग चेम्बर, 02 मिनिमल प्रोसेसिंग इकाई, 587 पैक हाउस, 197 प्याज भण्डारगृह, 132 लो कास्ट प्रिजर्वेशन इकाई की स्थापना से लगभग रुपये 585.87 करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ है।

(6) देश के कुल आलू उत्पादन का 30 से 35 प्रतिशत आलू उत्तर प्रदेश में होता है। हापुड़ एवं कुशीनगर में दो आलू आधारित सेन्टर आफ एक्सीलेंस स्वीकृत। 406 एकड़ में ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस का निर्माण, 494 कृषक लाभान्वित।

9. उद्योग :–

(1) उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट–2018 का सफल आयोजन। देश–विदेश के शीर्ष निवेशकों, उद्योगपतियों द्वारा प्रदेश में विभिन्न उद्योगों की स्थापना के लिए 4.68 लाख करोड़ रुपये के निवेश सम्बन्धी एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित। प्रथम ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान 61 हजार करोड़ रुपये से अधिक की 81 परियोजनाओं का शिलान्यास। द्वितीय ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में लगभग 65 हजार करोड़ रुपये की 250 से अधिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी गयी। परियोजनाओं की स्थापना का कार्य प्रगति पर।

(2) इज आफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश राज्य का देश में द्वितीय स्थान। विभिन्न लाइसेंस स्वीकृतियां, एन0ओ0सी0 आदि के संबंध में 72 घंटे में एक्नॉलेजमेंट प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था।

(3) बुन्देलखण्ड में 20 हजार करोड़ रुपये के निवेश से डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की स्थापना का कार्य शुरू। 50 हजार करोड़ से अधिक के 20 एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित कोविड–19 महामारी के दौरान 24 से अधिक एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित, लाखों लोगों के लिए सृजित होंगे रोजगार।

(4) उद्योगों हेतु लैण्ड बैंक का सृजन के अतर्गत प्रदेश में पूर्व से ही 20,000 एकड़ का औद्योगिक भूमि बैंक उपलब्ध है। बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल में निजी औद्योगिक की पात्रता सीमा 100 एकड़ से घटाकर 20 एकड़ कर दी गई है।

(5) एक जनपद–एक उत्पाद योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 26000 से अधिक लाभार्थियों को रुपये 2800 करोड़ का ऋण विभिन्न बैंकों के माध्यम से वितरित। रुपये 700 करोड़ से अधिक की मार्जिन मनी उपादान धनराशि की सहायता प्रदान करते हुए 02 लाख लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये।

(6) विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना तथा एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण योजना के अंतर्गत 1,09,885 हस्तशिल्पियों/पारम्परिक कारीगरी उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए निःशुल्क उन्नत टूलकिट वितरित।

(7) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के अंतर्गत अब तक प्रदेश में लगभग 82 लाख एम0एस0एम0ई0 इकाईयों को रुपये 2,15,506 करोड़ ऋण उपलब्ध कराते हुए लगभग 2 करोड़ लोगों को रोजगार से लगाया गया। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत प्रदेश में 4,41,125 इकाईयों रुपये 12222.41 करोड़ की आर्थिक सहायता।

(8) प्रदेश से निर्यात में अत्यधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2017–18 में जहां 88967.42 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया वहीं वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रदेश से रुपये 121141.96 करोड़ का निर्यात किया गया।

10. सूचना प्रौद्योगिकी :–

(1) सरकार द्वारा नयी उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति–2020 अधिसूचित। यमुना एक्सप्रेस–वे में जेवर एयरपोर्ट के समीप इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना, बुन्देलखण्ड में रक्षा इलेक्ट्रानिक्स मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्ट स्थापना की कार्यवाही। कोविड–19 महामारी के अनुभवों को दृष्टिगत रखकर चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े इलेक्ट्रानिक उपकरणों के प्रदेश में ही निर्माण के उद्देश्य से लखनऊ, उन्नाव, कानपुर जोन में मेडिकल इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना प्रस्तावित। नयी नीति के अंतर्गत रुपये 1000 करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं।

(2) विदेशी कम्पनियों हेतु ग्रेटर नोएडा में 100 एकड़ क्षेत्र में एक इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस–वे क्षेत्र भारत में एक इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण हब के रूप में प्रतिष्ठित।

(3) उ0प्र0 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति–2020 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को प्रदेश के सभी क्षेत्रों में एक समान विकास का संकल्प। 40 हजार करोड़ का निवेश और 4 लाख लोगों के लिए रोजगार के सृजन का लक्ष्य। मेरठ, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ तथा बरेली में आईटी पार्क की स्थापना की जा रही है।

(4) उ0प्र0 स्टार्टअप नीति–2020 उद्घोषित। इसके तहत प्रदेश के सभी क्षेत्रों में कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन आदि क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा देने का संकल्प। प्रत्येक 10,000 स्टार्टअप की स्थापना के अनुकूल इकोसिस्टम का सृजन। 4000 से अधिक स्टार्टअप उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग भारत सरकार के साथ पंजीकृत हैं। 13 नये इन्क्यूबेटर को मान्यता, राज्य भर में 37 इन्क्यूबेटर पंजीकृत। प्रदेश में लगभग 50 हजार व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं 1 लाख व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार होंगे सृजित।

11. जी0एस0टी0 :–

(1) वर्ष 2021–22 में माह अगस्त, 2021 तक 36622.57 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, एवं संगत अवधि में गत वर्ष से 12831.04 करोड रुपये अधिक है।

(2) जी0एस0टी0 कॉउन्सिल के निर्णय के अनुरूप उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 के उपचार में प्रयुक्त होने वाली कई दवाइयों, उपकरणों इत्यादि पर कर की दरों में कमी करते हुए न्यूनतम कर दर (05 प्रतिशत) रखी गई।

(3) ब्याज/अर्थदण्ड माफी योजना 2020 के अंतर्गत 18666 व्यापारी लाभान्वित तथा रुपये 113.12 करोड़ की आच्छादित बकाया जमा हुई। 03 मार्च, 2021 से 02 सितम्बर 2021 तक के लिए लागू, इस योजना में 12492 व्यापारी लाभान्वित तथा 95.49 करोड रुपये की आच्छादित बकाया जमा।

(4) मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत वर्ष 2020–21 में 155 एवं 2021–22 में अब तक 73 व्यापारी लाभान्वित।

12. नगर विकास :–

(1) स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रदेश की 10 निकायों (नगर निगमों) जनपद लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, अलीगढ, बरेली, झांसी, सहारनपुर व मुरादाबाद चयनित। इन में नगरों अब तक लगभग रु0 3418.63 करोड की धनराशि निर्गत। राज्य स्तर पर 07 अवशेष निगमों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किये जाने का निर्णय।

(2) प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिए आवास (शहरी) मिशन के तहत शहरी क्षेत्र में आवास विहीन लोगों के लिए भारत सरकार द्वारा अब तक कुल 16,03,502 आवास स्वीकृत। जिसके सापेक्ष 16391.01 करोड रुपये की धनराशि सीधे लाभार्थियों के खाते में अवमुक्त।

(3) प्रधानमंत्री स्वनिधि आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत चिन्हित 8,80,914 पथ विक्रेताओं को 5,56,899 लाभार्थियों को बैंकों से ऋण स्वीकृत।

(4) अटल नवीकरण एवं शहरी रुपान्तरण मिशन (अमृत) योजना के अन्तर्गत लगभग 11,421.66 करोड रुपये की परियोजना निरूपित कर पेयजल, सीवरेज एवं पार्कों का निर्माण प्रगति पर। योजना के तहत अब तक पेयजल के 6.70 लाख गृह संयोजन व सीवरेज के 5.47 लाख गृह संयोजन।

(5) प0 दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजनान्तर्गत शहरी बेघरों के लिए आश्रय गृह निर्माण की 148 परियोजनाए स्वीकृत। जिनमें 104 शेल्टर होम पूर्ण। अवशेष कार्य प्रगति पर।

(6) स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश खुले में शौच से मुक्त। समस्त नगर निकायों को क्यू0सी0आई0 द्वारा ओ0डी0एफ0 प्रमाणित।

(7) लखनऊ सहित प्रदेश के 14 शहरों में सस्ती दरों पर इलेक्ट्रिक बसों की सुविधा।

13. जलशक्ति :–

(1) वर्तमान सरकार के साढ़े चार वर्षों के कार्यकाल में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की 13 परियोजनाएं पूरी।

(2) 04 वर्षों में 3.77 लाख हे0 अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन।

(3) केन बेतवा लिंक परियोजना नदी के जल बंटवारे को लेकर मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।

(4) तटबन्धों को सुरक्षित करके बाढ से बचाव हेतु 628 करोड़ रुपये की लागत से ड्रेजिंग कार्य पूर्ण।

(5) 46 वर्षों से लम्बित बाणसागर नहर परियोजना पूरी करायी गयी। इसका लोकार्पण मा0 प्रधानमंत्री जी ने 15 जुलाई 2018 को किया था। इस परियोजना से मिर्जापुर एव प्रयागराज जनपदों की 150132 हे0 भूमि सिंचित हो रही है और 1.70 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं।

(6) बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अंतर्गत 12 बडी परियोजनाएं पूरी की गईं। इन परियोजनाओं से 73345 हे0 सिंचन क्षमता सृजित तथा 5.92 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन व 65062 किसान लाभान्वित हो रहे हैं।

(7) वर्ष 2021–22 में 12 परियोजनाएं पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके अंतर्गत सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना में 12.61 लाख हे0 सिंचन क्षमता सृजित हुई है। परियोजना के पूरा होने पर 14.04 लाख सिंचन क्षमता सृजित होगी और 29.74 लाख किसान लाभान्वित होंगे।

(8) उत्तर प्रदेश वाटर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना फेज–2 16 जनपदों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कार्य किया जा रहा है। परियोजना के पूरा होने पर 1.62 लाख हे0 सिंचन क्षमता सृजित होगी और 7.10 लाख किसान लाभान्वित होंगे।

(9) नहरों की सफाई अभियान के अंतर्गत 2020–21 में 46000 किलोमीटर सिल्ट सफाई। ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव की समस्या के निराकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में 15100 किलोमीटर की लम्बाई में ड्रेनों की सफाई।

(10) विगत चार वर्षों में विभाग द्वारा बाढ से सुरक्षा सम्बन्धी 688 परियोजनाएं पूर्ण। वर्ष 2021–22 मंव 230 परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य, जिसके सापेक्ष 139 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इससे प्रतिवर्ष बाढ से होने वाली जनधन हानि को कम से कम करने में सफलता प्राप्त हुई है। 184 नई बाढ परियोजनाओं हेतु 734.48 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत। फरवरी / मार्च 2021 मे कार्य प्रारम्भ। 300 करोड़ रुपये की लागत से 25050 पुल–पुलियों का जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण व नवनिर्माण का अभियान अंतिम चरण में।

(11) 01 अप्रैल, 2021 से प्रदेश में 34307 राजकीय नलकूपों, 29 पम्प नहरों एवं 252 लघु डाल नहरों से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

(12) नवीन राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना (नाबार्ड पोषित) लागत धनराशि 633.7882 करोड़ रुपये से 1960 नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण। 98000 हे0 सिंचन क्षमता का सृजन तथा 96089 किसान लाभान्वित।

14. नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग :–

(1) नमामिगंगे परियोजना राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के अन्तर्गत 46 सीवरेज संबंधी परियोजनायें स्वीकृत। 22 परियोजनाएं पूर्ण, 20 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर तथा 04 परियोजना प्रक्रियाधीन।

(2) नमामि गंगे व अमृत तथा राज्य सेक्टर के अंतर्गत अब तक 20 नगरों में 15.08 लाख सीवरेज कनेक्शन के विरुद्ध 12.68 लाख कनेक्शन देने का कार्य पूर्ण।

(3) कानपुर के 128 वर्ष पुराने सीसामऊ नाले को टेप कर गंगा नदी में होने वाले प्रदूषण को समाप्त किया गया है। इससे गंगा नदी के जल गुणवत्ता में सुधार आया है।

(4) अयोध्या म पवित्र नदी सरयू में गिरने वाले सभी नालों को टैप कर पवित्र नदी सरयू की गुणवत्ता में सुधार लाया गया।

(5) नीर निर्मल परियोजना (विश्व बैंक सहायतित) के अन्तर्गत 329 पाइप पेयजल योजना का कार्य पूर्ण।

(6) जल जीवन मिशन के अतर्गत वर्ष 2024 तक प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजना द्वारा "हर घर जल" उपलब्ध कराने का लक्ष्य। राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 1646 पाइप पेयजल योजनाए पूर्ण।

(7) भारत सरकार द्वारा संचालित अटल भूजल योजना के सादृश्य ही प्रदेश के सभी जनपदों में उ0प्र0 अटल भूजल योजना सचालित।

(8) वर्तमान सरकार के कार्यकाल मे 06 सितम्बर, 2021 तक निःशुल्क बोरिंग / उथले नलकूप योजना के तहत कुल 424627 कार्य पूर्ण। इसी प्रकार 4032 गहरे नलकूप तथा 13299 मध्यम गहरे नलकूप का कार्य पूर्ण। इसी प्रकार 729 सामुहिक नलकूप, 1261 ब्लास्ट कूप तथा 682 तालाबों व 977 चेकडैम का निर्माण तथा 955326 हे0 अतिरिक्त भूमि सिंचन क्षमता का सृजन। मनरेगा के तहत 409188 मानव दिवस सृजित तथा गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 46330 मानव दिवस सृजित।

(9) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2017 से अब तक 2303 पेयजल परियोजनाएं पूरी।

15. अवस्थापना सुविधाओं का विकास :–

(1) पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए 340.824 किमी0 लम्बे 06 लेन चौडे (08 लेन विस्तारणीय) एक्सप्रेस–वे का निर्माण कार्य 95 प्रतिशत से अधिक पूर्ण। इसके निर्माण से लखनऊ, अमेठी, बाराबंकी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, आजमगढ, मऊ तथा जनपद गाजीपुर सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। एक्सप्रेस–वे के आसपास उद्योगों, शिक्षण संस्थाओं तथा व्यावसायिक केन्द्रों का विकास होगा। आपात काल में वायु सेना के विमानों हेतु जनपद सुल्तानपुर मे एक्सप्रेस–वे पर हवाई पट्टी विकसित।

(2) बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस–वे के साथ डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर।

(3) बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस–वे परियोजना का निर्माण जनपद इटावा मे आगरा, लखनऊ एक्सप्रेस–वे सेजोडने के लिए

किया जा रहा है, लगभग 296 किलोमीटर इस एक्सप्रेस–वे का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना के आच्छादित जनपद चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया तथा इटावा हैं। अब तक 70 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण।

(4) गोरखपुर पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस–वे परियोजना के समस्त कार्य वर्ष 2022 में पूरा किये जाने का लक्ष्य। इस एक्सप्रेस–वे का निर्माण कार्य प्रारम्भ। अब तक 27 प्रतिशत से अधिक का कार्य पूर्ण।

(5) मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 594 किमी0 लम्बे गंगा एक्सप्रेस–वे के निर्माण हेतु 93 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण।

(6) ग्रेटर नोएडा में 5000 हे0 में विकसित हो रहे जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तरी भारत के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक होगा। राज्य सरकार ने प्रस्तावित जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 06 किलोमीटर दूर 1000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में फिल्म सिटी की अवस्थापना विकास कार्य प्रगति पर। इन योजनाओं में 40 हजार करोड़ रुपये के निवेश और लगभग ढाई से 03 लाख रोजगार सृजन की संभावना है।

(7) प्रदेश में 17 नये एयरपोर्ट के विकास का संकल्प। वर्तमान में 08 एयरपोर्ट से 71 गन्तव्य स्थानों के लिए हवाई सेवाएं संचालित। सभी 13 अन्य एयरपोर्ट एवं 07 हवाई पट्टी का विकास। एयरपोर्ट क्रियाशील हो जाने पर बेहतर हवाई कनेक्टिविटी से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

16. **ऊर्जा :–**

(1) प्रदेश के सभी परिवारों को विद्युत सुलभ कराने के लिए "पावर फार ऑल" के तहत अप्रैल 2017 से अब तक 1.41 करोड़ से अधिक घरों का विद्युत संयोजन। ग्रामीण क्षेत्रों में सौभाग्य योजना के अंतर्गत 121324 अविद्युतीकृत ग्रामों / मजरों का विद्युतीकरण।

(2) अनवरत विद्युत आपूर्ति हेतु प्रदेश में अब तक कुल 673 नग 33 / 11 के0वी0 के नये विद्युत उपकेन्द्र स्थापित एवं 1347 विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि।

(3) सिंचाई की सुविधा हेतु किसानों को रियायती दर पर 40239 निजी नलकूप संयोजन। ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम भार प्रबन्धन की विद्युत आपूर्ति हेतु 2227 ग्रामीण फीडरों को अलग किया गया। प्रदेश में 15292 किमी0 132 के0वी0 और उसके ऊपर ट्रांसमिशन नेटवर्क हेतु लाइन बिछाई गई। 4129 किमी0 अण्डरग्राउण्ड केबिल का कार्य पूर्ण।

(4) प्रदेश सरकार द्वारा राज्य क्षेत्र में उत्पादन निगम लि0 की नयी परियोजनाओं पर कुल 47,345.00 करोड़ रुपये का निवेश।

(5) आत्मनिर्भर योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन कम्पनियों को 27,940 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

(6) सौर ऊर्जा नीति–2017 के तहत वर्ष 2022 तक 10700 मेगावाट क्षमता के सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य। इसके तहत निजी निवेश को बढ़ाने के लिए सौर ऊर्जा इकाई स्थापित करने पर शतप्रतिशत स्टाम्प शुल्क में छूट।

(7) मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के तहत ग्रामों में वैकल्पिक मार्ग प्रकाश की व्यवस्था हेतु 13791 सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना। पं0 दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत प्रदेश के विकास खण्डों में सार्वजनिक मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु 25569 सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना।

(8) सौभाग्य योजना के अन्तर्गत प्रदेश के दूरस्थ एवं दुर्गम ग्रामों / मजरों के अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण हेतु 53858 सोलर सयंत्र स्थापित।

(9) कृषकों के आय में बढ़ोत्तरी के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के अंतर्गत कृषक को अपनी अनुपजाऊ / बंजर भूमि पर 02 मेगावाट क्षमता तक के सोलर पॉवर प्लाण्ट स्थापना की सुविधा।

(10) प्रदेश में जैव अपशिष्टों से जैव ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए जैव ऊर्जा नीति–2018 के तहत जैव ऊर्जा की 14 परियोजनाओं हेतु 2492 करोड़ रूपये का निवेश स्वीकृत।

(11) पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण अयोध्या शहर की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अयोध्या को सौर सिटी के रूप में विकसित करने की योजना।

(12) भारत सरकार द्वारा प्रदेश में 30,000 नलकूपों का सौर ऊर्जीकरण हेतु स्वीकृत दी गई।

17. **श्रम एवं सेवायोजन विभाग :–**

(1) प्रदेश में कोरोना संकट के समय वापस लौटे कामगारों / श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उ0प्र0 कामगार एवं श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग का गठन। आउटसोर्सिंग आफ मैनपावर के लिए जेम पोर्टल पर पंजीकृत एवं बिड अवार्डी सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थियों के चयन हेतु प्रक्रिया के निर्देश जारी।

(2) निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता के दृष्टिगत अब तक कुल 2625 रोजगार मेलों का आयोजन, जिसमें 358958 अभ्यर्थियो का चयन करते हुए रोजगार उपलब्ध कराया गया।

(3) बाल श्रम उन्मूलन हेतु 20 जिलों के 1197 ग्राम पंचायतों / शहरी वार्डों में नया सवेरा योजना के अन्तर्गत 39576 बाल श्रमिकों का चिन्हांकन कर 26933 बच्चों को शिक्षा से जोड़ा गया।

(4) कार्यस्थल पर श्रमिक की मृत्यु की दशा में 05 लाख रुपये, स्थायी दिव्यांगता पर 03 लाख रुपये एवं आंशिक दिव्यांगता पर 02 लाख रुपये की सहायता। श्रमिकों के कल्याणार्थ 16 योजनाएं संचालित। अब तक 73.62 लाख निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण तथा अब तक 1,23,625 निर्माण स्थलों का पंजीकरण।

(5) प्रवासी कामगारों एवं अन्य अपंजीकृत श्रमिकों का पंजीकरण कराकर इनकी स्किल मैपिंग कराये गये श्रमिकों की सेवायोजन पोर्टल पर 3784255 श्रमिक पंजीकृत किये गये, जिनमें से 1043779 श्रमिकों को विभिन्न विभागों द्वारा रोजगार दिया गया। मिशन रोजगार अभियान के अंतर्गत 4032013 मकों / अभ्यर्थियों को रोजगार मिला तथा 40.73 करोड मानव दिवसों का सृजन।

(6) कोविड–19 महामारी के दौरान पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के भरण–पोषण के लिए 'आपदा राहत सहायता योजना' से रु0 1000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक मदद।

(7) प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजनान्तर्गत अबतक 620353 लाभार्थियों का पंजीकरण। व्यापारियों तथा स्वरोजगारों के लिए संचालित एन0पी0एस0 ट्रेडर्स योजना के अंतर्गत देश में सर्वाधिक 11621 लाभार्थियों का पंजीकरण।

18. शिक्षा :–

(1) वर्ष 2021–22 में प्रदेश के परिषदीय, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल, माध्यमिक विद्यालयों, सहायता प्राप्त मदरसों में कक्षा–1 से 08 तक के अध्ययनरत 1,85,45,302 छात्र–छात्रों को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकों के साथ ही निःशुल्क जूता, मोजा, स्वेटर, यूनीफार्म एवं स्कूल बैग वितरण की कार्यवाही प्रचलित।

(2) आपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 18 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से विद्यालयों का संतृप्तीकरण किया जा रहा है।

(3) प्रदेश में 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संचालित। इन विद्यालयों में अध्ययनरत 70,000 से अधिक छात्राओं को अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध।

(4) कोविड–19 से अनाथ हुई 11–14 आयु वर्ग की छात्राओं को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत प्रवेश दिलाये जाने की प्रक्रिया गतिमान।

(5) बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत वनटांगिया ग्रामों में 33 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण कार्य प्रगति पर।

(6) अरबी एवं फारसी मदरसों तथा परिषद की कक्षाओं में अध्ययनरत् छात्रों को आधुनिक ज्ञान–विज्ञान से परिचित कराने के उददेश्य से एन0सी0ई0आर0टी0 पाठ्यक्रम लागू। मेधावी विद्यार्थियों का प्रोत्साहन एवं सम्मान।

(7) प्रदेश में 194 नये इण्टर कालेजों का संचालन, 57 नये इण्टर कालेजों की स्वीकृति तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछडे क्षेत्रों में 30 बालिका छात्रावासों का संचालन। 107 बालिका छात्रावास निर्माणाधीन। इण्टर मीडिएट स्तर पर कम्पार्टमेंट परीक्षा का प्रावधान। सभी राजकीय विद्यालयों में बालिकाओं को आत्मरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जूडो प्रशिक्षण। 987 नवीन हाईस्कूल, 970 नवीन इण्टर मीडिएट तथा हाईस्कूल एवं इण्टर मीडिएट (एक साथ) 305 विद्यालयों को मान्यता प्रदान।

(8) 03 नये राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना। 77 नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना कार्य प्रगति पर। 'रूसा' के अंतर्गत 26 मॉडल राजकीय महाविद्यालयों का संचालन प्रारम्भ। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना, 75000 से अधिक ई–कन्टेन्ट अपलोड।

(9) प्रदेश के 74 राजकीय पॉलीटेक्निकों में लैंग्वेज लैब एवं 19 राजकीय पॉलिटेक्निक में स्मार्ट क्लास रूम, 15 संस्थाओं में वर्चुअल क्लासरूम तथा 25 संस्थाओं में एडवांस लैब की स्थापना। प्रदेश में अब तक 20 महिला / पुरूष के 60 बेडेड छात्रावास स्वीकृत। ऑनलाइन शिक्षण कार्य जारी।

(10) मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 26 नये राजकीय पॉलीटेक्निकों की स्थापना की घोषणा। इस हेतु 24 राजकीय पॉलीटेक्निकों के निर्माण की धनराशि स्वीकृत।

(11) ए0के0टी0यू0 द्वारा शोध कार्यों को बढावा देने हेतु चार नये शोध संस्थानों को मजूरी।

19. समाज कल्याण :–

(1) 'मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना' के अंतर्गत प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को निःशुल्क साक्षात / ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लगभग 11,268 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

(2) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 55.77 लाख पेंशनरों को 500 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान की जा रही है, जिसमें 19.24 लाख नवीन पेंशनर शामिल हैं।

(3) विगत साढ़े चार वर्षों में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत अब तक 5,14,850 परिवारों को आर्थिक सहायता।

(4) समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों के शैक्षिक उत्थान हेतु प्रदेश में कुल 94 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित।

(5) मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अब तक 1,31,665 जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराया गया।

(6) प्रत्येक जनपदों में पीपीपी मॉडल पर 150 वृद्धजनों की क्षमता वाले वृद्धाश्रम संचालित।

(7) पिछडा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत पिछडे वर्ग के छात्र–छात्राओं को वित्तीय वर्ष

2020–21 में 13247.08 लाख रुपये से 6,98,955 छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति कर लाभान्वित किय गया। वित्तीय वर्ष 2021–22 में रु0 17500 लाख का बजट प्राविधानित। दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में 124038.95 लाख रुपये से 12,03,475 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किय गया। वित्तीय वर्ष 2021–22 में रु0 1,20,000 लाख का बजट प्राविधानित।

(8) पिछडे वर्ग के गरीबों की पुत्रियों की शादी हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में 7500 लाख रुपये से 37500 लाभार्थियों क आर्थिक सहायता प्रदान की गई। वित्तीय वर्ष 2021–22 में 15000 लाख रुपये स्वीकृत। 59560 आवेदकों क पीएफएमएस रिस्पांस प्राप्त, जिसके सापेक्ष 2489 आवेदक लाभान्वित।

(9) पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए ओ–लेवल/सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 1461.02 लाख रुपये से कुल 16875 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 2021–22 में रु0 1500 लाख बजट प्राविधानित। चयनित प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण प्रारम्भ।

(10) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करते हुए 4 इण्टर कालेज, 13 नवीन आईटीआई भवनों का निर्माण, 64 पेयजल परियोजना, 03 राजकीय पॉलिटेक्निक, 5 राजकीय इण्टर कालेज, 18 राजकीय डिग्री कालेज आदि सहित 3400 नई इकाइयों की स्थापना की जा चुकी है।

(11) तीन तलाक पीडित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत त्वरित न्याय दिलाने की कार्यवाही।

(12) अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति सुलभ कराने के लिए अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय द लाख रुपये की गई। पूर्व दशम एव दशमोत्तर छात्रवृत्ति के अन्तर्गत छात्र/छात्राएं लाभान्वित।

(13) अल्पसंख्यकों के गरीबों की पुत्रियों के विवाह हेतु 50 करोड़ रु0 का प्राविधान। 12500 लाभार्थी होंगे लाभान्वित।

(14) 11,18,809 दिव्यांगजनों को पेंशन तथा 1,77,971 को उपकरण वितरित।

(15) दिव्यांगजनों के विवाह हेतु 'शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार' योजना के अंतर्गत 3327 दिव्यांगजन दम्पत्ति लाभान्वित

20. महिला एवं बाल विकास :–

(1) आंगनबाडी केन्द्रों पर पंजीकृत 6 वर्ष आयु तक के बच्चों, अतिकुपोषित, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य एव पोषण स्तर मे सुधार हेतु कुल 1.57 करोड से अधिक लाभार्थियों को अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण। अक्टूबर, 2020 से प्रदेश भर में 60 हजार से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पुष्टाहार वितरण की नवीन व्यवस्था लागू।

(2) पोषण अभियान के अंतर्गत ऑगनबाडी कार्यकत्रियों को तकनीकी सुविधा से जोड़ने एवं कार्य हेतु 1,23,000 स्मा फोन एवं 1,87,000 इन्फैंटोमीटर का वितरण।

(3) बालिकाओं के प्रति आमजन की सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना' लागू जिसके अन्तर्गत लाभार्थी को रु0 15,000 तक की धनराशि से लाभान्वित किया जाता है। अब तक 10.01 लाख पात्र बालिकायें लाभान्वित।

(4) बेटी–बचाओ, बेटी–पढाओ योजना के अन्तर्गत प्रदेश में अबतक 1.97 लाख गतिविधियों के माध्यम से 1.71 करोड़ महिलाओं तथा बालिकाओं को जागरूक किया गया।

(5) महिला हेल्पलाइन '181' के अंतर्गत 4.28 महिलाओं को सहायता प्रदान की गयी। वन स्टाप सेन्टर योजना के अंतर्गत कुल 91691 केस संबधितों को सन्दर्भित किये गये। महिला शक्ति केन्द्र योजनान्तर्गत 34.11 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक व विभिन्न कल्याणकारी योजना से जोड़ा गया।

(6) मिशन शक्ति अभियान के तहत 8.50 करोड पुरूष/महिला/अन्य को जागरूक किया।

(7) पति की मृत्यु से निराश्रित हो गई 29.69 लाख महिलाओं को रु0 500 प्रतिमाह पेंशन देकर किया गया लाभान्वित उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई बाल एवं महिला सम्मान कोष के अंतर्गत 4937 महिलाओं/बालिकाओं को आर्थिक सहायता।

(8) कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों के पालन पोषण एवं शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारम्भ। रूपये 4000 प्रतिमाह भरण पोषण, शिक्षा आदि हेतु दिया जा रहा है। अनाथ हुयी बालिकाओं के विवाह हेतु रूपये 1.01 लाख की आर्थिक सहायता। प्रदेश में चिन्हित 5147 बच्चों के अभिभावकों/संरक्षकों के खातों में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा तीन माह की 12000–12000 रूपये की धनराशि हस्तान्तरित।

(9) कोरोना से इतर कारणों से 01 मार्च, 2020 के बाद माता–पिता दोनों या किसी एक को अथवा अभिभावक को खोया है उनको प्रतिमाह 2500 रुपये की सहायता दी जायेगी। प्रदेश में अभी तक 2585 च्चों को चिन्हित कर कार्यवाही प्रचलित।

21. राजस्व :–

(1) कोरोना महामारी के दृष्टिगत रेहड़ी पटरी वाले तथा दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमिकों को डी0बी0टी0 के माध्यम से **रूपये 1000 धनराशि का वितरण।**

(2) मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यागता की दशा में अधिकतम 5 लाख रुपये दिये जाने के प्राविधान के अन्तर्गत इस वर्ष अब तक 19396 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण आबादी के सर्वेक्षण एवं अभिलेख किया के लिए 82913 ग्रामो को अधिसूचित किया गया।

अब तक 2006 ग्रामों के 2,74,677 लाभार्थियों को ग्रामीण आवासीय घरौनी तैयार कराकर वितरित किया गया। 1052951 निर्विवाद वरासत दर्ज।

(3) एंटी भू–माफिया के अन्तर्गत हुये अवैध कब्जे के लिए प्रभावी कार्यवाही कराये जाने हेतु प्रदेश स्तर पर 4 स्तरीय एंटी भू–माफिया टास्क फोर्स का गठन। 63615.17 हे0 भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया गया तथा 23,515 राजस्व वाद, 868 सिविल वाद व 4439 एफआईआर दर्ज कराते हुए 2474 अतिक्रमणकारियों को भूमाफिया के रूप में चिन्हित करते हुए 186 भूमाफियाओं को जेल में निरुद्ध किया गया।

22. **परिवहन** :–

(1) कोविड–19 के बचाव के दृष्टिगत लॉकडाउन में परिवहन निगम की बसों द्वारा 33.92 लाख प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह जनपद तक भेजा गया। परिवहन निगम को प्रदेश की जनता के "संकट का साथी" के रूप में माना गया।

(2) प्रदेश के 38254 असेवित गांवों में से 26050 गांवों को परिवहन सेवा से आच्छादित। परिवहन निगम पिछले 05 वर्षों से लाभ की स्थिति में।

(3) परिवहन निगम के 50 बस स्टेशनों पर माताओं हेतु शिशु देखभाल कक्ष की स्थापना की गई है, 100 बस स्टेशनों पर और व्यवस्था की जा रही है।

(4) रक्षाबन्धन पर्व वर्ष 2021 में 9.63 लाख महिला यात्रियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई। महिलाओं के लिए 50 पिंक सेवाओं का संचालन किया गया है।

23. **सड़क एवं यातायात योजना (लोक निर्माण विभाग)** :–

(1) वर्तमान सरकार के अब तक के कार्यकाल में लगभग 15541 किमी. लम्बाई में ग्रामीण मार्गों का निर्माण। अब तक लगभग 14638 किमी0 लम्बाई में मार्गों का चौडीकरण/सुदृढीकरण। 2 लेन मार्ग बनाने/चौड़ीकरण करते हुए 144 विकास खण्ड मुख्यालयों में 1282 किलोमीटर हेतु 2088 करोड़ रूपये की स्वीकृतियां निर्गत, 94 कार्य पूर्ण तथा 26 तहसीलों में 270 किलोमीटर चौड़ीकरण हेतु 387 करोड़ रूपये की स्वीकृतियां निर्गत, 24 कार्य पूर्ण। 349263 किलोमीटर सड़कें गड्ढामुक्त।

(2) प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित एवं प्रोत्साहित करने हेतु खिलाड़ियों के निवास/ग्राम तक मार्ग का निर्माण/मरम्मत कर मेजर ध्यान चंद पथ के रूप में विकसित करने की अभिनव योजना लागू। 20 खिलाड़ियों के निवास/ग्रामों के मार्गों के निर्माण/मरम्मत कार्य पूर्ण।

(3) प्रदेश के बलिदानी शहीदों के घर/ग्राम तक मार्गों के निर्माण हेतु 'जय हिंद वीर पथ' योजना के तहत 40 सड़कों में से 23 मार्गों के निर्माण की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत, 12 मार्गों का कार्य पूर्ण। 17 मार्ग संतोषजनक।

(4) मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत 179 राजस्व ग्रामों में सड़क निर्माण।

(5) 124 दीर्घ सेतु पहुंच मार्ग सहित पूर्ण तथा 54 रेल उपरिगामी सेतुओं के निर्माण का कार्य पूर्ण कर आवागमन हेतु चालू। 355 लघु सेतुओं को पहुंच मार्ग सहित पूर्ण। इसके अतिरिक्त 305 दीर्घ सेतु, 767 लघु सेतु एवं 121 रेल उपरिगामी सेतु निर्माणाधीन।

(6) डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम गौरव पथ योजना के तहत प्रदेश के 10वीं व 12वीं कक्षा के (टॉप–20) मेधावी छात्र/छात्राओं के निवास स्थल/स्कूलों तक सड़क निर्माण की योजना के तहत 314 मार्गों का निर्माण/मरम्मत का कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत, जिसमें 260 कार्य पूर्ण, 54 कार्य प्रगति पर।

(7) वातावरण के प्रदूषण एवं बीमारियों से बचाव हेतु प्रदेश के चिन्हित 193 हर्बल मार्गों पर 987 किलोमीटर में 40437 हर्बल पौधे रोपित। प्रदेश में सिंगल यूजवेस्ट प्लास्टिक का उपयोग करते हुए 85 मार्गों का निर्माण। इस वर्ष 1300 किमी0 लम्बाई के मार्गों की कार्य योजना।

(8) लोक निर्माण विभाग द्वारा गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए प्रतिदिन 09 किलोमीटर के औसत से चौड़ीकरण/सुदृढीकरण, 10 किलोमीटर प्रतिदिन के औसत से नये मार्गों का निर्माण तथा औसतन प्रत्येक तीन दिन में एक सेतु का निर्माण पूर्ण किया जा रहा है।

24. **पंचायतीराज** :–

(1) ग्राम पंचायतों में ग्राम स्तरीय विभिन्न विभागों के कर्मियों को ग्राम पंचायत में एक जगह बैठकर कार्य करने आदि के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय स्थापित करने का निर्णय। इसके तहत 58189 ग्राम पचायतों के सापेक्ष 46631 ग्राम सचिवालय निर्मित, शेष कार्य प्रगति पर। प्रत्येक ग्राम सचिवालयों पर पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट–कम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की हो रही है तैनाती।

(2) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत शौचालय निर्माण की राष्ट्रीय स्तर पर तुलनात्मक प्रगति में उ0प्र0 प्रथम स्थान पर। प्रदेश के सभी 75 जनपद ओडीएफ घोषित। बेसलाइन के उपरान्त अब तक कुल 2,18,64,876 इज्जत घरों/शौचालयों का निर्माण।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में 52634 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण। इन शौचालयों के रखरखाव एवं रोजगार सृजन के दृष्टिगत 48565 स्वयं सहायता समूहों को 136 करोड़ रुपये से अधिक का हस्तांतरण।

(4) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को 'गरीब कल्याण रोजगार अभियान' में राज्यों के बीच

(13) प्रमुख पर्यटन स्थलों वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, लखनऊ एवं आगरा को हेलीकॉप्टर सेवा से जोडने हेतु हेलीपोर्ट का निर्माण कार्य प्रगति पर।

(14) उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 तथा उत्तर प्रदेश राज्य सडक परिवहन लि0 के मध्य आयोध्या में नवनिर्मित अयोध्या धाम बस स्टैण्ड के संचालन हेतु एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित। आलियांस फ्रांसेज के साथ मा0 का0 प्रबंध संस्थान का एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग एवं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के मध्य वाराणसी में रो–पैक्स वेसेल्स (क्रूज बोट) के संचालन हेतु एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित।

(15) पी0पी0पी0 मॉडल पर चित्रकूट, अष्टभुजा–कालीकोह (विन्ध्यांचल) में रोप–वे का संचालन प्रारम्भ एवं बरसाना (मथुरा) में रोप–वे का कार्य प्रगति पर।

(16) केन्द्र सरकार के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में रु0 7253.41 लाख की धनराशि से बजट का प्राविधान, जिसमें प्रासाद एवं स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत कई योजनाएं संचालित। राज्य सेक्टर के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में रु0 87650.02 लाख की परियोजनाएं क्रियान्वित।

26. ग्राम्य विकास, पशुधन व मत्स्य :–

(1) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 14.36 लाख आवास का निर्माण कार्य पूर्ण, शेष निर्माणाधीन। वर्ष 2021–22 हेतु कुल 4.34 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य प्राप्त। जिसके अंतर्गत 2.87 लाख आवास पूर्ण शेष निर्माणाधीन। वर्ष 2016–17 से अब तक 26.15 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य प्रदेश को प्राप्त हुआ, जिसके सापेक्ष 19.66 लाख आवास पूर्ण, शेष निर्माणाधीन।

(2) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत गत वर्ष उ0प्र0 को उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा सर्वाधिक 09 पुरस्कार प्रदान किये गये।

(3) मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत अब तक 1.08 लाख आवास आवंटित, जिसमें लगभग 67,320 आवास पूर्ण, शेष निर्माणाधीन।

(4) महात्मा गाधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में भौतिक लक्ष्य 26 करोड मानव दिवस सृजन के विरुद्ध 12.68 करोड़ मानव दिवस सृजित। 64.42 लाख श्रमिकों को रोजगार।

(5) उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में उ0प्र0 में कुल 54289 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन करते हुए 5.97 लाख ग्रामीण परिवारों को स्वय सहायता समूहों के माध्यम से आच्छादित किया गया है।

(6) ग्राम्य स्तर पर डिजिटल लेन–देन को प्रोत्साहित करने हेतु सखी योजना के अन्तर्गत 58,000 ग्राम पंचायतों मे विभिन्न बैंकों के माध्यम से 55,964 बी.सी. सखी की पदस्थापना।

(7) प्रधानमत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में 124.540 किमी0 सडक का निर्माण पूर्ण तथा 403.79 करोड रुपये व्यय।

(8) "मा0 मुख्यमत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना" के अन्तर्गत इच्छुक कृषक/ पशुपालक/ अतिकुपोषित परिवारों को एक–एक गाय व 900 रुपये प्रतिमाह दिये जाने की योजना। 53536 लोगों को 98291 गोवंश उपलब्ध कराये गये।

(9) प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को मिलाकर कुल 5280 अस्थायी/स्थायी गोवंश आश्रय स्थल स्थापित, इनमें 622245 गोवंश संरक्षित।

(10) प्रदेश में विगत साढ़े चार वर्षों के दौरान 1380.994 लाख मी0टन दुग्ध का उत्पादन। इसी प्रकार इसी अवधि में 140381.260 लाख अण्डे का उत्पादन हुआ।

(11) प्रधानमंत्री मत्स्य सपदा योजना लागू। मछुआ आवास योजनान्तर्गत 2881 तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत 7883 मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड से लाभान्वित किया गया।

27. वन एवं पर्यावरण :–

(1) 30 करोड वृक्षारोपण जन–आन्दोलन–2021 के अन्तर्गत वन विभाग एवं 26 राजकीय विभागों द्वारा स्वय व व्यापक जनसहभागिता से सितम्बर, 2021 तक 30.49 करोड पौध रोपित कर ऐतिहासिक उपलब्धि। एक ही दिन में 25.51 करोड पौधों का रोपण कर विश्व कीर्तिमान स्थापित। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 96 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण।

(2) प्रदेश के 75 जनपदों मे 28 प्रजातियो के वन क्षेत्र के बाहर सामुदायिक भूमि पर 947 वृक्ष विरासत वृक्ष घोषित किये गये।

(3) माह नवम्बर 2020 को सूर सरोवर (कीठम झील) प्रदेश का 8वॉ वेट लैण्ड है जिसे रामसर साइट घोषित किया गया है।

(4) पीलीभीत टाइगर रिजर्व वन क्षेत्र मे 2014 मे बाघों की सख्या 25 थी, जो बढ़कर 2018 में 65 हो गई। बाघ संरक्षण से **जुडी महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की संयुक्त सहभागिता से पीलीभीत टाइगर रिजर्व को TX2** का प्रथम ग्लोबल अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। जून 2020 में हाथी गणना में प्रदेश में कुल 352 हाथी पाये गये, जबकि वर्ष 2017 मे हाथियों की सख्या 232 थी।

28. **खेल, युवा कल्याण एवं कौशल विकास** :–

(1) टोक्यो ओलम्पिक–2020 में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों एवं उत्तर प्रदेश से प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों तथा टीम गेम्स के स्पोर्टिंग स्टॉफ सहित कुल 70 खिलाड़ियों / सदस्यों को मा0 राज्यपाल, उ0प्र0 एवं मा मुख्यमंत्री जी द्वारा श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित सम्मान समारोह में रु0 41.90 करोड़ की राशि से पुरस्कृत किया गया।

(2) खेलो इण्डिया योजना के अन्तर्गत समस्त जनपदों में 'एक जनपद एक खेल' योजना से प्रशिक्षण तथा प्रदेश में खेल अवस्थापना / स्टेडियम की स्थापना। मेरठ में सिंथेटिक हॉकी मैदान के निर्माण, वाराणसी के लालपुर स्पोर्टस काम्प्लेक्स व सहारनपुर के स्पोर्टस स्टेडियम में सिंथेटिक रनिंग ट्रैक, गोरखपुर के वीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कालेज में बहुउद्देशीय क्रीड़ा हाल का निर्माण। विवेकानन्द यूथ एवार्ड प्रदेश में पुनः सचालित।

(3) जनपद मेरठ में उत्तर प्रदेश राज्य स्पोर्टस यूनीवर्सिटी की स्थापना के लिए तेजी से कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश में खेलों का विकास गाँव से राज्य स्तर तक युवाओं एवं खिलाड़ियों को चिन्हाकन खेलो में प्रतिभागिता वृद्धि, खेल कौशल में उत्कृष्टता लाने एवं स्थानीय परम्परागत खेलों को बढ़ावा देने के लिए 'उत्तर प्रदेश खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति' का पुनर्गठन किया गया।

(4) वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 9 लाख युवक / युवतियों को विभिन्न ट्रेडस में उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें लगभग 4.11 लाख युवक / युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। 735 निजी प्रशिक्षण प्रदाताओं को किया गया अनुबंधित।

29. **सूचना विभाग** :–

(1) सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय पार्क रोड स्थित का 3832 वर्गमी0 भूमि / क्षेत्रफल में 06 मंजिला नवीन भवन पं0 दीन दयाल उपाध्याय सूचना परिसर का निर्माण। 25 सितम्बर, 2020 को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया लोकार्पण।

(2) सूचना विभाग के अन्तर्गत उ0प्र0 फिल्म बन्धु / फिल्म विकास परिषद द्वारा यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत सेक्टर–21 में लगभग 1000 एकड़ भूमि पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त फिल्म सिटी का निर्माण प्रस्तावित।

(3) प्रदेश सरकार द्वारा किये जा रहे जन कल्याणकारी एवं विभिन्न कार्यक्रमों, उपलब्धियों पर आधारित 07 दिन 07 पृष्ठ की ई–संदेश पत्रिका का प्रति सप्ताह प्रकाशन।

(4) लोकभवन में मा0 मुख्यमंत्री सोशल मीडिया हब स्थापित। सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की योजनाओं, नीतियों आदि का व्यापक प्रचार–प्रसार।

(5) वर्तमान सरकार की विभिन्न कल्याणकारी, विकासपरक, रोजगार परक एवं महत्वपूर्ण योजनाओं, कार्यक्रमों का होर्डिंग, एलईडी, विज्ञापन, प्रदर्शनी, गीत एवं नाट्य, लेख, फीचर लेख, सफलता की कहानी, प्रेरक विज्ञप्तियों, फोल्डर, पुस्तिका, हैण्डबुक आदि प्रकाशनों एवं फोटो फिल्म निर्माण आदि विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।

(6) कोविड–19 महामारी से बचाव के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे विभिन्न कार्यों तथा कोरोना की रोकथाम हेतु विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा आम जनमानस में जागरूकता लाने का प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।

30. **खादी तथा ग्रामोद्योग** :–

(1) मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक 3520 इकाइयां स्थापित करते हुए 66971 को लोगों को रोजगार।

(2) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 11159 इकाइयां स्थापित करते हुए 115691 लोगों को रोजगार।

(3) वर्तमान में बिक्री हेतु ऑन लाइन प्लेटफार्म अमेजान पर 83 एवं फिलपकार्ट पर 10 खादी एवं ग्रामोद्योग इकाईयों के उत्पाद उपलब्ध।

(4) देश में उ0प्र0 प्रथम राज्य है जहां सौर ऊर्जा आधारित चर्खों के संचालन को मान्यता प्रदान करते हुए अनुदान की सहायता उपलब्ध करायी गयी। 3032 लाभार्थियों को सोलर चर्खा, 414 विद्युत चालित कुम्हारी चाक, 486 दोना पत्तल मशीन, 7 कुम्हार समूहों को आधुनिक भट्ठी, 71 पग मिल तथा 14 पॉपकार्न मशीनों को उपलब्ध कराया गया, जिसमें 7950 को रोजगार प्राप्त हुआ।

(5) प्रदेश में मिट्टी के कार्य करने वाले शिल्पियों के परम्परागत व्यवसाय को नवाचार के माध्यम से संरक्षित एवं संवर्धित करने हेतु 'उ0प्र0 माटी कला बोर्ड' की स्थापना।

31. **भूतत्व एवं खनिकर्म** :–

(1) परिवहन प्रपत्रों की वैधानिकता की जांच के लिए विभाग द्वारा मोबाइल ऐप m–check विकसित किया गया है।

(2) बालू / मोरम के खनन पट्टा धारकों को त्रैमासिक किश्तों से मासिक देय किश्त, ईंट भट्ठों से रॉयल्टी के रूप में **वार्षिक समाधान शुल्क के स्थान पर विनिमय शुल्क** का प्रावधान व ऑनलाइन माध्यम से भुगतान की सुविधा।

(3) खनन पट्टा क्षेत्रों से उपखनिजों के परिवहन हेतु कम्प्यूटर जनित ई0एम0एम0–11 लागू। भण्डारण स्थल से परिवहन हेतु ई–फार्म सी0 की व्यवस्था। वित्तीय वर्ष 2020–21 में रु0 3120.97 करोड़ की राजस्व प्राप्ति। अवैध

खनन / परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु इन्टीग्रेटेड माइनिंग सर्विलांस सिस्टम (आईएनएसएस) विकसित।

32. **चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण :–**

(1) प्रदेश मे 250 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा के अन्तर्गत जुलाई 2021 तक 2.83 लाख लाभार्थी लाभान्वित। प्रदेश मे 2270 क्रियाशील 102 नेशनल एम्बुलेंस सेवा के अन्तर्गत 4.41 करोड लाभार्थी लाभान्वित। 108 एम्बुलेंस सेवा की 2200 एम्बुलेंस से 1.64 करोड लाभार्थियो को परिवहन सेवा प्रदान। 170 संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट से 15. 45 लाख लाभार्थियों को सेवा प्रदान।

(2) दिमागी बुखार के समुचित प्रबधन और उपचार के लिए गोरखपुर एवं बस्ती मण्डल की सभी सिक न्यूबार्न केयर इकाइयो मे वेन्टिलेटर की सुविधा। पूर्ण रूप से सुसज्जित पीआईसीयू, मिनी पीसीआईयू एवं ईटीसी की स्थापना। लगातार टीकाकरण व इलाज होने से जे0ई0 / सी0एफ0आर0 जैसे वेक्टर जनित रोगो का प्रतिशत शून्य हो गया।

(3) प्रदेश में अब तक ई–संजीवनी के माध्यम से 9.16 लाख से अधिक लोगों ने चिकित्सीय परामर्श प्राप्त किया। आयुष कवच ऐप से जनसामान्य द्वारा स्वास्थ्य / रोगों से संबंधित प्रश्नों का समाधान किया जाता है।

(4) प्रतिदिन लगभग दो से ढाई लाख से अधिक लोगों का कोरोना की जांच की जा रही है। अब तक प्रदेश में 28 सितम्बर 2021 तक 7.81 करोड़ से अधिक लोगों की कोरोना जांच की गई, जो देश के राज्यों में सर्वाधिक है।

(5) 01 अप्रैल, 2018 से अब तक 8.39 लाख क्षय रोगियो को निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत 206.51 करोड रुपये का भुगतान।

(6) आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन–आरोग्य योजनान्तर्गत प्रदेश के 1.18 करोड से अधिक परिवार लाभान्वित। रुपये 5 लाख का बीमा कवर। प्रदेश में 8594 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर संचालित।

(7) परिवार कल्याण सेवाओं को गति प्रदान करने हेतु प्रदेश भर में प्रत्येक माह की 21 तारीख को 'खुशहाल परिवार' दिवस मनाया जा रहा है।

(8) मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा संचालित मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत 42.19 लाख पात्र लाभार्थियो को 5 लाख रुपये तक सूचीबद्ध चिकित्सालयों में इलाज कराने की व्यवस्था की गयी।

(9) अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 07 नयै मेडिकल कालेज एव संस्थान क्रियाशील, 09 नये मेडिकल कालेज वर्तमान शिक्षण सत्र से होंगे संचालित, 14 नय। मेडिकल कालेज का निर्माण कार्य प्रारम्भ। निजी क्षेत्र में 28 मेडिकल कालेज संचालित।

(10) 'प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना' के तहत अब तक 40,94,505 लाख पहली बार हो रही गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को 161191.59 लाख रुपये का भुगतान किया गया। जननी सुरक्षा योजनान्तर्गत कुल 16980180 संस्थागत प्रसव कराये गये। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत 15935972 लाभार्थियो का निःशुल्क उपचार।

(11) कमजोर तथा गम्भीर नवजात शिशुओं की गहन देखरेख हेतु 69 जनपदो में 86 एस0एन0सी0यू0 क्रियाशील। प्रदेश में 71 जनपदों में 77 पोषण पुनर्वास केन्द्र इकाईयां संचालित। प्रदेश में कंगारू मदर केयर के अतर्गत 174 इकाई स्थापित। सभी बच्चों का नियमित टीकाकरण।

(12) प्रदेश मे सचालित राजकीय एवं निजी आयुष महाविद्यालयों शैक्षणिक सत्र के नियमन एवं प्रदेश में एकरूपता तथा योग एवं नेचुरोपैथी में उत्कृष्ट शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में 54 एकड़ भूमि पर 'महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय' गोरखपुर मे स्थापित किये जाने का निर्णय। महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार द्वारा दिनांक 28 अगस्त, 2021 को शिलान्यास एवं भूमि पूजन किया गया।

(13) प्रदेश के समस्त मेडिकल कालेजों / संस्थानों में कोविड अस्पताल संचालित है तथा समस्त जनपदों में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का निःशुल्क इलाज। कोविड सैम्पल की प्रतिदिन आरटीपीसीआर, ट्रूनेट एव एन्टीजन टेस्टिंग की जा रही है।

33. **कोविड–19 वैश्विक महामारी के बचाव हेतु प्रदेश सरकार द्वारा किये गये विशेष कार्य :–**

(1) उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता एवं समय रहते उठाये गये ट्रेस, टेस्ट एवं ट्रीट नीति को पूरी सक्रियता से लागू कर कोरोना के संक्रमण की दूसरी लहर को पूरी तरह नियंत्रित करने में सफलता पायी।

(2) उत्तर प्रदेश के कोरोना महामारी के प्रबधन की केन्द्र सरकार सहित विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की सराहना।

(3) प्रतिदिन 2.50 से 3.00 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट। उत्तर प्रदेश में 28 सितम्बर, 2021 तक 7.81 करोड से अधिक कोरोना टेस्ट करते हुए देश मे प्रथम स्थान पर।

(4) कोरोना संक्रमण की रिकवरी दर 98.8 प्रतिशत।

(5) संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत मेडिकल कालेजों मे 6500 से अधिक पीडियाट्रिक आईसीयू (पीकू) / नियोनेटल आई.सी.यू. (नीकू) आईसोलेशन बेड तैयार।

(6) प्रदेश मे 555 ऑक्सीजन सयत्रो के निर्माण की स्वीकृति, 392 ऑक्सीजन संयत्र क्रियाशील।

(7) प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव / सुरक्षा के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान तेजी से संचालित। प्रदेश में 28 सितम्बर 2021 तक 10.39 करोड से अधिक लोगों का टीकाकरण करने वाला उत्तर प्रदेश देश मे प्रथम।

(8) चिकित्सालयों मे कोरोना का मुफ्त जांच, दवा, भोजन एवं उपचार।

(9) प्रदेश मे 1.80 लाख कोविड बेड की उपलब्धता।

(10) कोरोना से निराश्रित हुए बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमत्री बाल सेवा योजना प्रारम्भ। रुपये 4000 प्रतिमा भरण–पोषण भत्ता सहित शिक्षा आदि की सुविधाए। निराश्रित हुई बालिकाओं के विवाह हेतु 1.01 लाख रुपये का आर्थिक सहायता।

(11) कोरोना के नये स्वरूप डेल्टा प्लस एवं अन्य के संभावित खतरे के मद्दे नजर हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन की कार्यवाही की जा रही है।

(12) प्रदेश में सर्विलांस टीम के माध्यम से 28 सितम्बर, 2021 तक 17.25 करोड से अधिक लोगों का सर्वेक्षण किया गया।

(13) कोविड–19 की दूसरी लहर के दौरान कोविड संक्रमित, होम आइसोलेटेड, क्वारंटाइन मरीज और अन्य पारिवारिक सदस्यो की इम्यूनिटी बढाने तथा कोविड–19 से बचाव हेतु आयुष रक्षा किट एवं आयुष–64 मेडिसिन का वितरण किया गया है।

34. **विशेष :– उत्तर प्रदेश देश में विभिन्न योजनाओं में नम्बर एक बना।**

(1) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 19.66 लाख आवास बनाकर उ0प्र0 का देश में प्रथम स्थान।

(2) अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान।

(3) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अन्तर्गत देश में अग्रणी।

(4) सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना मे उ0प्र0 देश में प्रथम।

(5) अयोध्या मे आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम मे 6.06 लाख से अधिक दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड मे नाम दर्ज।

(6) ई–टेन्डरिंग प्रणाली में उ0प्र0 सरकार सर्वोत्तम परफार्मेन्स के लिए बेस्ट परफार्मेन्स एवार्ड से सम्मानित।

(7) कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान को डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उ0प्र0 पहला राज्य बना।

(8) किसानों के लिए बाजार को व्यापक बनाने के दृष्टिकोण से मण्डी अधिनियम में संशोधन करने वाला उ0प्र0 देश का प्रथम राज्य।

(9) दुग्ध उत्पादन में उ0प्र0 देश में प्रथम।

(10) गन्ना एवं चीनी उत्पादन में उ0प्र0 का देश में लगातार चार वर्षो से प्रथम स्थान पर।

(11) प्रदेश के 1.47 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिये गये। उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारम्भ।

(12) उ0प्र0 चिकित्सा शिक्षण संस्थान स्थापित कर सचालित करने वाला देश में अग्रणी राज्य।

(13) ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण में उ0प्र0 देश में प्रथम।

(14) मानव वन्य जीव सघर्ष को आपदा घोषित करने वाला उ0प्र0 प्रथम राज्य।

(15) कौशल विकास नीति को लागू करने वाला उ0प्र0 प्रथम राज्य।

(16) ई–मार्केट प्लेस (जेम) के अन्तर्गत सर्वाधिक सरकारी खरीददारी करने वाला उ0प्र0 देश का पहला राज्य बना।

(17) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में सर्वाधिक आवास निर्माण मे उ0प्र0 देश मे प्रथम।

(18) पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल द्वारा डी0बी0टी0 के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरित करने मे देश में उ0प्र0 का प्रथम स्थान।

(19) राज्य स्वास्थ्य नीति लागू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य।

(20) वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 1,44,000 करोड़ रुपये का गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान, जो एक रिकार्ड है।

(21) सडक व हवाई कनेक्टिविटी में सर्वश्रेष्ठ।

(22) ईज आफ डूइंग बिजनेस में उ0प्र0 को देश मे द्वितीय स्थान प्राप्त। सूचनाओं के आदान–प्रदान एवं पारदर्शिता में उ0प्र0 अग्रणी राज्य।

(23) औद्योगीकरण के लिये भूमि उपलब्धता व आवंटन में उ0प्र0 शीर्ष 5 राज्यों मे शामिल।

(24) इण्डिया स्मार्ट सिटीज एवार्ड–2020 में उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार।

(25) परिवहन निगम को लाभ होने पर सर्वश्रेष्ठ प्राफिट मेकिंग एस0टी0यू0 का राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार प्राप्त।

(26) भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप रैंकिंग के तहत उ0प्र0 एस्पायरिंग लीडर के रुप में सम्मानित।

(27) वृक्षारोपण जन–आन्दोलन के अन्तर्गत प्रदेश में इस वर्ष 30.49 करोड़ पौधों का रिकार्ड रोपण।

(28) उ0प्र0 तिलहन उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश मे प्रथम स्थान।

(29) मैनुअल चालान व्यवस्था समाप्त कर ई–पेमेन्ट से जुर्माना भुगतान की सुविधा हेतु ई–चालान व्यवस्था लागू कर उ0प्र0 देश का पहला राज्य बना।

(30) मत्स्य उत्पादन में बेस्ट स्टेट कैटेगरी के अतर्गत उ0प्र0 को 'देश का बेस्ट स्टेट फार इनलैण्ड फिशरीज' घोषित करते हुए भारत सरकार द्वारा प्रथम स्थान का पुरस्कार।

(31) खाद्य एवं रसद विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर 'एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस–स्टेट श्रेणी मे रजत पुरस्कार प्राप्त।

(32) उत्तर प्रदेश बना देश मे दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। प्रतिव्यक्ति आय हुई दोगुनी।